₹ 25

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कादम्बिनी

अप्रैल 2019





آپ کے جذبات

آپ کا برتاؤ

آپ کے معاملات

آپ کا سلوک

آپ کی عادات اور

آپ کے طور طریقے...

ان میں سے کوئی چیز بھی اگر لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ نہیں کر رہی ہے

تو کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ آپ

اسلامی انقلاب

کے داعی ہیں؟؟؟

ماونٹ سینا اکیڈمی کی خاص باتیں درج ذیل ہیں:

- ☆ C.B.S.E نصاب
- ☆ اسمارٹ کلاس (Smart Class)
- ☆ بچوں کی شخصیت کی ہمہ جہت ترقی پر زور
- ☆ صحت مند اور مثبت سوچ پیدا کرنے کی کوشش
- ☆ اسکول گیٹ کے سامنے ہاسٹل
- ☆ جدید نفسیاتی تحقیق کی روشنی میں تعلیم
- ☆ زباندانی اور حساب پر خصوصی توجہ
- ☆ صفائی اور پاکیزگی کی عادت ڈالنا
- ☆ اسلامی آداب سکھانا
- ☆ سواری کا معقول انتظام

ماؤنٹ سینا اکیڈمی

عیدگاہ روڈ، نزد مٹھیا مسجد، موتیہاری، مشرقی چمپارن (مع ہاسٹل)

Mount Seena Academy

(With Hostel)

Eidgah Road,Near Mathia Masjid,Motihari,E.Champaran

انیس الرحمٰن (ڈائریکٹر)
موبائل نمبر:9504231744

پروفیسر محمد حسین آزاد (پرنسپل)
موبائل نمبر:9931722801



आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 28 अंक 10 अप्रैल 2019

थल और जल में बिगाड़ फैल गया स्वयं लोगों ही के हाथों की कमाई के कारण, ताकि वह उन्हें उनकी कुछ करतूतों का मज़ा चखाए, कदाचित वे बाज़ आ जाएं । –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल managerkantidelhi@gmail.com

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 60/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'कान्ति'** के नाम से बनवाएं

हवाला के हवाले

जी चाहता है, उन्हें एक क़िस्सा सुनाऊं,
जो हवाला के हवाले हो गये हैं ।
एक बार एक धनी सज्जन
श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे,
विनम्र आग्रह करते हुए बोले,
महाराज ! निवेदन है आप
मेरी यह धनराशि स्वीकार कर लीजिए,
ताकि आप परोपकार के कामों में लगा सकें,
इस तुच्छ धन राशि को ।
परमहंस जी बोले–
भाई ! यह मुझसे न होगा,
तुम्हारा धन लेने के कारण
मेरा चित्त उसमें लग जाएगा,
और मेरी मानसिक शांति भंग हो जाएगी ।
धनिक ने तर्क करते हुए कहा–
महाराज ! आप तो परमहंस हैं,
आपका मन
उस तेल-बिन्दु के समान है,
जो कामिनी कंचन के महा समुद्र में
स्थित होकर भी सदैव उससे अलग रहता है ।
परमहंस गंभीर हो गये, बोले–
भाई ! क्या तुम्हें ज्ञात नहीं
अच्छे से अच्छा तेल भी
यदि बहुत दिनों तक पानी के संपर्क में रहे
तो वह अशुद्ध हो जाता है
और उससे दुर्गंध आने लगती है,
फिर धनिक बड़ा लज्जित हुआ
उसने अपना आग्रह छोड़ दिया ।
परमहंस के क़िस्से से सीख लेनी चाहिए
उन तमाम लोगों को, जो
उजले कपड़ों के आधार पर
शुद्ध आचरण रखने का दावा करते हैं
और भूल जाते हैं
'धनिकों' के चमचमाते सिक्के
उन्हें कितना भ्रष्ट कर रहे हैं, और
उनके दावों को अन्दर से कितना खोखला बना रहे हैं ।

● **डॉ० कौसर यज़दानी नदवी**



कहां क्या है ?

हवाला के हवाले	–डॉ॰ कौसर यज़दानी नदवी	3
क़ुरआन ज्योति		5
शुभ सूचना देना (हदीस मंजरी)		6
इस्लाम मानव सेवा का धर्म (संपादकीय)		7
न्याय से ही शांति स्थापना (आपके पत्र)		9
इस्लामी त्योहार (आस्था)	–मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां	13
माता-पिता के साथ सद्व्यवहार	–सलीम शाकिर	17
मानवता का आदर्श	–संपादन प्रभाग	21
सूअर मांस का निषेध क्यों ? (सवाल-जवाब)		23
सामूहिक बिगाड़ का अंजाम (विशेष आयोजन)	–सैयद अबुल आला मौदूदी	26-27
बेकल उत्साही की याद (साहित्यिकी)	–जावेद क़मर	31
अनशनी राजनीति (कहानी)	–राजीव शर्मा	33
बेरोज़गारी : एक अहम चुनावी मुद्दा	–ज़हीर ललितपुरी	37
गोद लिए बच्चे कितने अपने कितने पराये	–डॉ॰ विभा खरे	41
पड़ोसियों को कष्ट न पहुंचाएं	–अफ़रोज़ इनायत	43
महिलाधिकार और इस्लाम	–संपादन प्रभाग	45
विवेक	–संकलित	50

क़ुरआन ज्योति

(90) और हम बनी इसराईल को समुद्र से गुज़ार ले गये। फिर फ़िरऔन और उसकी सेना जुल्म और ज़्यादती के उद्देश्य से उनके पीछे चली–यहां तक कि जब फ़िरऔन डूबने लगा तो बोल उठा, "मैंने मान लिया कि वास्तविक ईश्वर उसके सिवा कोई नहीं है जिस पर बनी इसराईल ईमान लाए, और मैं भी आज्ञाकारियों में से हूं।"[91] (91) (उत्तर दिया गया) "अब ईमान लाता है ! हालांकि इससे पहले तक तू अवज्ञा करता रहा और बिगाड़ पैदा करने वालों में से था। (92) अब तो हम केवल तेरी लाश ही को बचाएंगे, ताकि तू बाद की नस्लों के लिए शिक्षाप्रद निशानी बने।"[92] यद्यपि बहुत-से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से ग़फ़लत बरतते हैं।"[93]

(93) हमने बनी इसराईल को बहुत अच्छा ठिकाना दिया[94] और जीवन के बड़े साधन उन्हें दिए। फिर उन्होंने आपस में मतभेद नहीं किया, मगर उस समय जबकि ज्ञान उनके पास आ चुका था।[95] निश्चित रूप से तेरा रब क़ियामत के दिन उनके बीच उस चीज़ का निर्णय कर देगा जिसमें वे मतभेद करते रहे हैं।

–क़ुरआन, 10:90-93

---

91. बाइबल में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु तलमूद में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि डूबते समय फ़िरऔन ने कहा, "मैं तुझ पर ईमान लाता हूं, ऐ खुदावंद ! तेरे सिवा कोई ख़ुदा नहीं।"

92. आज तक वह स्थान सीना प्रायद्वीप के पश्चिमी तटों पर मौजूद है, जहां फ़िरऔन की लाश समुद्र में तैरती हुई पायी गयी थी। इसको वर्तमान में 'जबले फ़िरऔन' कहते हैं और इसी के क़रीब एक गर्म स्रोत है जिसको स्थानीय आबादी ने 'फ़िरऔन का हम्माम' का नाम दे रखा है। वह स्थल अबू ज़ैनमा से कुछ मील ऊपर उत्तर की ओर स्थित है और क्षेत्र के निवासी उसी की निशानदेही करते हैं कि फ़िरऔन की लाश यहीं पड़ी हुई मिली थी।

अगर यह डूबने वाला वही फ़िरऔन मन्फ़ता है जिसको आज की खोज ने मूसा का फ़िरऔन बताया है तो उसकी लाश आज तक क़ाहिरा के संग्रहालय में मौजूद है। 1907 ई० में सर ग्राफ़्टन इलियट स्मिथ ने उसकी मम्मी पर से जब पट्टियां खोली थीं तो उसकी लाश पर नमक की एक तह जमी हुई पायी गयी थी जो खारे पानी में उसके डूबने की एक खुली निशानी थी।

93. अर्थात हम तो शिक्षाप्रद निशानियां दिखाए ही जाएंगे, यद्यपि अधिकतर इंसानों का हाल यह है कि किसी बड़ी से बड़ी शिक्षाप्रद निशानी को देखकर भी उनकी आंखें नहीं खुलतीं।

94. अर्थात मिस्र से निकलने के बाद फ़िलिस्तीन की धरती।

95. अर्थ यह है कि बाद में उन्होंने अपने धर्म में जो विभेद पैदा किये और नये-नये धर्म निकाले उसका कारण यह नहीं था कि उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं दिया गया था और न जानने के कारण उन्होंने विवश होकर ऐसा किया, बल्कि वास्तव में यह सब कुछ उनके अपने मन की दुष्टता का परिणाम था। अल्लाह की ओर से तो उन्हें खुलकर बता दिया गया था कि सत्य धर्म यह है, ये उसके नियम हैं, ये उसके तक़ाज़े और मांगें हैं, ये कुफ़्र और इस्लाम के अन्तर को स्पष्ट करने वाली सीमाएं हैं, आज्ञापालन इसको कहते हैं, अवज्ञा इसका नाम है, इन चीज़ों की पूछताछ अल्लाह के यहां होनी है, और ये वे नियम हैं, जिन पर दुनिया में तुम्हारी ज़िन्दगी स्थापित होनी चाहिए। मगर इन स्पष्ट निर्देशों के बाद भी उन्होंने एक धर्म के बीसियों धर्म बना डाले और अल्लाह की दी हुई बुनियादों को छोड़कर कुछ दूसरी ही बुनियादों पर अपने धर्म-सम्प्रदायों की इमारतें खड़ी कर लीं।



शुभ-सूचना देना और बधाई देना वांछनीय है

● हज़रत इब्न शुमासह से रिवायत है । वे कहते हैं कि हम हज़रत अम्र बिन अल-आस (रज़ि॰) के पास मौजूद थे । उस समय वे प्राण त्यागने की अवस्था में थे । वे देर तक रोते रहे और उन्होंने अपना मुंह दीवार की ओर कर लिया । उनके बेटे ने (सांत्वना देते हुए) कहा : पिता जी, क्या अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने आपको ऐसी और ऐसी खुशख़बरी नहीं दी थी ? उन्होंने अपना मुख सामने किया और कहा : जिस चीज़ को हम सर्वश्रेष्ठ समझते हैं वह यह गवाही है कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और यह कि मुहम्मद (सल्ल॰) अल्लाह के रसूल हैं । मैं तीन हालतों से गुज़रा हूं । मैंने आप (सल्ल॰) को इस हाल में भी देखा है कि मुझसे बढ़कर अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से द्वेष और दुश्मनी रखने वाला कोई और न था । और मुझे इस बात से बढ़कर कोई और चीज़ प्रिय न थी जितनी यह बात कि यदि मुझे अपने पर वश और ज़ोर प्राप्त हो तो मैं आपको क़त्ल कर दूं । यदि मैं इस हाल में मर जाता, तो निश्चय ही मैं नारकी होता । फिर जब अल्लाह ने मेरे दिल में इस्लाम को स्थान दिया, तो मैं नबी (सल्ल॰) के पास आया और कहा : आप अपना दायां हाथ बढ़ाइये ताकि मैं आपसे 'बैअत, करूं (अर्थात आपके आज्ञापालन का वचन दूं) आपने अपना दायां हाथ बढ़ाया, तो मैंने अपना हाथ समेट लिया । इस पर आपने कहा : "ऐ अम्र, तुम्हें क्या हो गया है ?" मैंने कहा : मैं एक शर्त रखना चाहता हूं । आपने कहा : "तुम क्या शर्त रखना चाहते हो ?" मैंने कहा : यह कि मुझे क्षमा कर दिया जाए । आपने कहा : "क्या तुम नहीं जानते कि इस्लाम पिछले गुनाहों को समाप्त कर देता है और यह कि हिजरत (अल्लाह के लिए घर-बार छोड़ना) भी पिछले गुनाहों को समाप्त कर देती है और यह कि हज से भी पिछले गुनाह समाप्त हो जाते हैं ?" उस समय अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से बढ़कर मुझे कोई प्रिय न था और न मेरी दृष्टि में आपसे बढ़कर कोई महान था । आपकी महानता और प्रताप के कारण मैं आपकी तरफ़ भर निगाह देख नहीं सकता था । और यदि मुझसे आपके रूप-रंग के बारे में पूछा जाए तो मुझ में उसके बयान करने का सामर्थ्य नहीं क्योंकि मैंने आपको भर निगाह देखा ही नहीं । यदि मेरी इस हाल में मृत्यु हो जाती, तो मुझे आशा है कि जन्नत वालों में सम्मिलित होता । इसके पश्चात मुझे ज़िम्मेदार और हाकिम बनाया गया । मैं नहीं जानता कि इस सिलसिले में मेरा क्या हाल है ? तो जब मेरी मृत्यु हो जाए तो न मेरे (शव के) साथ न कोई रोने वाली जाए और न आग । और जब तुम मुझे दफ़्न करने लगो तो मुझ पर थोड़ी-थोड़ी मिट्टी डालना । फिर मेरी क़ब्र के गिर्द इतनी देर ठहरना जितनी देर में ऊंट ज़ब्ह करके उसका मांस वितरित कर दिया जाता है । ताकि तुम्हारी उपस्थिति से मेरी घबराहट दूर रहे और परिस्थिति मनोनुकूल हो और मैं देखूं कि अपने रब के भेजे हुए दूतों (फ़रिश्तों) को क्या जवाब देता हूं ।

–मुस्लिम

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

इस्लाम : मानव-सेवा का धर्म

जनसेवा समाज का अभिन्न अंग है । यह भावना मानवजाति के उत्पत्ति के समय से ही पायी जाती है । वास्तव में यह मानव की मूल प्रकृति और उसके स्वभाव का एक हिस्सा है । इस भावना की व्यापकता पर यदि हम विचार करें, तो पाते हैं कि यह जीव-जन्तुओं में भी पायी जाती है । लेकिन मनुष्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, अत: जनसेवा के उसके काम ही महत्वपूर्ण और गुरुतर हैं । नेकी और भलाई के कामों को करने, बुराई से बचने व रोकने और परोपकार करने की सही भावना मनुष्य में ही पायी जाती है । अत: अपेक्षित यह भी है कि मनुष्य राहत व सहायता में अपने मुक़ाबले दूसरे ज़रूरतमंदों की सेवा करे । क़ुरआन में है–"जो कुछ भी उन्हें दिया गया उससे वे अपने सीनों में कोई खटक नहीं पाते और वे उन्हें अपने मुक़ाबले में प्राथमिकता देते हैं, यद्यपि अपनी जगह वे स्वयं मुहताज ही हों । और जो अपने मन के लोभ और कृपणता से बचा लिया जाए ऐसे ही लोग सफल हैं" (59:9)। पवित्र क़ुरआन की बहुत-सी और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनेक हदीसों में दूसरों की सेवा, भलाई के फैलाव और सद्व्यवहार की शिक्षाएं पायी जाती हैं । सारे मनुष्य मनुष्यता की दृष्टि में एक समुदाय हैं (क़ुरआन)। एक हदीस में है कि "सारी सृष्टि अल्लाह का परिवार है । उसमें से वह व्यक्ति अल्लाह को सबसे अधिक प्रिय है जो उसके परिवार को अधिक लाभ पहुंचाए" (मिश्कात)। अर्थात, मनुष्य अल्लाह के परिवार-मनुष्यों के धर्म, रंग, जाति, वर्ण आदि का लिहाज़ किये बिना काम आये । इस प्रकार इस्लाम अपने मानने वालों को सारी मानवता की सेवा के लिए विशेष रूप से प्रबोधित-प्रेरित करता है और इस भावना को उभारता है । जनसेवा मनुष्य की प्राकृतिक भावना है । इस पर जब बाह्य प्रमाण छा जाते हैं तो जब अन्य नैसर्गिक-प्राकृतिक गुणों की भांति यह गुण भी मुरझा जाता है । इस गुण को भी जाग्रत रखना मनुष्यता के लिए अनिवार्य हो जाता है । मुसलमानों को तो इसे जाग्रत रखने की विशेष ताकीद है । यह भी अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने का ज़रिया है ।

एक प्रसिद्ध हदीसे क़ुद्सी में है, "ऐ आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी बीमारपुर्सी नहीं की ।" वह बन्दा कहेगा कि ऐ बर, मैं तेरी बीमारपुर्सी कैसे करता ? तू तो सारे जहां का रब है । वह कहेगा, "क्या तू नहीं जानता था कि मेरा अमुक बन्दा बीमार है, तूने उसकी बीमारपुर्सी नहीं की ? क्या तू नहीं जानता था कि यदि तू उसकी बीमारपुर्सी करता तो अवश्य ही तू मुझे उसके पास पाता ! ऐ आदम के बेटे, मैंने तुझसे खाना मांगा, लेकिन तूने मुझे खाना नहीं खिलाया ?" बन्दा कहेगा कि ऐ रब, मैं तुझे खाना कैसे खिलाता, तू तो सारे जहां का रब है । वह कहेगा, "क्या तुझे नहीं मालूम कि मेरे अमुक बन्दे ने तुझसे

खाना मांगा, लेकिन तूने उसे खाना नहीं खिलाया । क्या तूने यह बात न जानी कि यदि तूने उसे खिलाया होता तो उस (के सवाब) को मेरे पास पाता । ऐ आदम के बेटे, मैंने तुझ से पानी मांगा, लेकिन तूने मुझे पानी न पिलाया ?'' बन्दा कहेगा कि ऐ रब, मैं तुझे पानी कैसे पिलाता, तू तो सारे जहां का रब है । वह कहेगा, मेरे अमुक बन्दे ने तुझसे पानी मांगा, लेकिन तूने उसे न पिलाया । अगर तू उसे पानी पिलाता तो उस (के सवाब) को मेरे पास पाता'' (मुस्लिम)। यह हदीस जनसेवा के कामों की महत्ता को भली-भांति स्पष्ट करती है । इस्लाम की जनसेवा संबंधी शिक्षाओं को देखते हुए यह सहज रूप से कहा जा सकता है कि इस्लाम मानव सेवा का धर्म है । इसमें सामूहिकता और एक-दूसरे की सहायता पर जितना बल मिलता है अंयत्र नहीं मिलता । प्रेम, सहिष्णुता, सद्भावना, लोगों के हक़ सभी जनसेवा के दायरे में आ जाते हैं । 'कान्ति' ने इस महत्वपूर्ण विषय पर जो प्रस्तुत विशेषांक प्रकाशित किया है, उसमें जनसेवा के सभी पहलू नहीं आ सके हैं, फिर भी यह कोशिश ज़रूर की गयी है कि इसके महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर रोशनी पड़ जाए । देश के मुसलमानों से यह अपेक्षा की जाती है कि जनसेवा के कामों के महत्व को और ठीक से समझेंगे और इनमें अपना हाथ बटाएंगे । वे परेशानी और मुसीबत के शिकार इन्सानों की सहायता के कामों में तेज़ी लाएं चाहे उनका संबंध किसी भी धर्म, जाति, समुदाय और विचारधारा से हो ।



न्याय से ही शांति-स्थापना

वर्तमान में भी विश्व विभिन्न प्रकार के संघर्षों, हिंसा, भेदभाव व असमानता से त्रस्त है । ऐसे में डॉ॰ मार्टिनलूथर किंग ने अपने अहिंसा के सिद्धांतों व आध्यात्मिक शिक्षाओं का प्रयोग कर अमेरिका में सफलतापूर्वक नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया था । उनका कहना था कि 'वास्तविक शांति हिंसा की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि न्याय की मौजूदगी में है ।'

अमेरिका में अश्वेतों द्वारा निष्पक्षता, समानता और गरिमा की मांग को लेकर किया गया लंबा संघर्ष वास्तव में उल्लेखनीय है । वह यह दिखाता है कि किस प्रकार से दुनिया के सुस्थापित लोकतंत्रों में भी लोगों को अपने, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है । अमेरिका 4 जुलाई 1776 को ब्रिटिश दासता से मुक्त हुआ था, लेकिन अश्वेतों को इसके भी 90 साल बाद ही दासत्व से मुक्ति प्राप्त हुई एवं कई नागरिका अधिकारों के लिए तो इन्हें अगले 90 सालों तक और इन्तिज़ार करना पड़ा ।

अफ़्रीकी दास पहली बार सन 1619 में उत्तरी अमेरिका लाये गये थे । दास प्रथा का अंत 1865 में जाकर हुआ, जब 1863 में राष्ट्रपति लिंकन ने मुक्ति उद्घोषणा जारी की । अगले कुछ वर्षों में इन्हें अमेरिका की नागरिकता व मतदान के अधिकार मिले ।

वर्ष 1866 के सिविल राइट एक्ट ने अमेरिकी अश्वेतों को सार्वजनिक सुविधाओं की बिना किसी भेदभाव के प्रयोग की अनुमति दी, हालांकि सन 1875 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस क़ानून को निरस्त घोषित कर दिया । इसके पश्चात अपने बहुत से अधिकारों की पुन: प्राप्ति के लिए अफ़्रीकी अमेरीकियों को एक सदी का लंबा इन्तिज़ार करना पड़ा, जब मार्टिन लूथर किंग व उनके नागरिक अधिकार आंदोलन ने इस लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

नस्ली भेदभाव के निजी अनुभवों, एक धार्मिक उपदेशक (मिनिस्टर) के रूप में उनकी शिक्षा-दीक्षा, मोहन दास करमचंद गांधी व जीसस क्राइस्ट के जीवन से ली गयी प्रेरणा ने मार्टिन लूथर किंग को एक असाधारण वाक् शक्ति सम्पन्न जननेता के रूप में स्थापित किया, जिसके फलस्वरूप वे अश्वेत समुदाय के अधिकारों के लिए लड़े और अंतत: 1964 में सिविल राइट एक्ट पारित हुआ । किंग ने सामाजिक सुधार लाने के लिए अहिंसा के सिद्धांत व आध्यात्मिक मूल्यों का सहारा लिया और इनके प्रायोगिक अमल पर ज़ोर दिया ।

अपने नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए अहिंसा को हथियार बनाने के लिए इन्होंने 1957 में एक माह के लिए भारत का दौरा भी किया व अहिंसक आंदोलन की बारीकियां सीखी । किंग ने अपने आंदोलन में सत्याग्रही तकनीकों यथा उपवास, सिट-इंस (भारतीय परिप्रेक्ष्य में धरना), चुनिंदा ख़रीदारी (भेदभाव की नीति रखने वाले व्यापारों का बहिष्कार) आदि का प्रयोग किया ।

मार्टिन का जन्म 1929 में अमेरिका के जार्जिया राज्य के अटलांटा शहर में रेवेरेंड मार्टिन लूथर किंग सीनियर व अल्बर्टा विलियम किंग के यहां हुआ था । इनके पिता व दादा दोनों ईसाई पादरी थे । ऐसा कहा जाता है कि 17 साल की उम्र में मार्टिन के मन में भी मिनिस्ट्री (ईसाई धर्मोपदेशक) में शामिल होने का विचार आया । इन्होंने कला संकाय में अपनी स्नातक डिग्री अटलांटा के मोरहाउस कॉलेज से पूरी की । इस दौरान इन्होंने समाजशास्त्र व अंग्रेज़ी का अध्ययन किया, जो आगे इनके सार्वजनिक जीवन में बहुत काम आया ।

इसके बाद मार्टिन को फिलाडेल्फ़िया के नज़दीक क्रोज़न सेमीनरी (धर्म शिक्षा संस्थान) में धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिली । इन्होंने यहां तीन वर्ष अध्ययन किया । तत्पश्चात, मार्टिन ने 1951-54 तक बोस्टन विश्वविद्यालय से डाक्टरेट की । बोस्टन में ये अलबामा की युवती कोरेटा स्कोट के संपर्क में आये । इन दोनों ने 1953 में विवाह कर लिया ।

1954 में पीएच॰डी॰ पूरी करने के पश्चात मार्टिन ने मोंटगोमरी, अलबामा के डेक्सटर एवेन्यू बाप्टिस्ट चर्च में

पादरी के रूप में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन गांधी की तरह ही किंग की भी नियति को कुछ और ही मंज़ूर था ।

मोंटगोमरी की एक लोकल बस में रोज़ा पार्कस नामक महिला ने एक श्वेत यात्री के लिए सीट छोड़ने से इन्कार कर दिया, परिणामस्वरूप उसे गिरफ़्तार कर लिया गया । इस भेदभाव से लड़ने के लिए अश्वेत समुदाय ने बसों के बहिष्कार का निर्णय लिया ।

किंग व अन्य सामाजिक नेताओं के मार्गदर्शन से यह बहिष्कार 381 दिनों तक चला । अंत में अमेरिकी अश्वेतों के इस अहिंसक आंदोलन की विजय हुई और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया की बसों में नस्ल के आधार पर यह पृथक्करण असंवैधानिक है ।

मोंटगोमेरी अभियान के बाद किंग अब अमेरिका में अश्वेतों के स्वतंत्रता संघर्ष का प्रमुख चेहरा बन चुके थे । अगले 12 वर्षों तक इन्होंने अश्वेतों के नागरिक अधिकारों के लिए हुए कई आंदोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया । इनका यह संघर्ष 1968 में इनकी हत्या होने तक जारी था । ये अश्वेतों के साथ नियमित रूप से हो रहे भेदभाव, असमानता व उत्पीड़न से लड़ने के लिए कटिबद्ध थे ।

मार्टिन अश्वेतों को मतदान का अधिकार न होने, स्कूलों में उनका श्वेतों से पृथक्करण, सार्वजनिक सुविधाओं के प्रयोग की अनुमति न होने, रोज़गार व नौकरियों में असमानता एवं ग़रीबी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले प्रमुख व्यक्तित्व थे । गांधी ही तरह ही किंग ने भी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धार्मिक मूल्यों व अहिंसावादी सिद्धांतों का सहारा लिया ।

उनकी आवाज़ ने गोरों की अन्तरात्मा को जगाने का काम किया । उन्होंने दार्शनिक अंदाज़ में कहां था कि, "अगर अंतिम रूप से विश्लेषण करें तो श्वेत लोग नीग्रो लोगों की समस्याओं को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे नीग्रो लोगों का ही एक हिस्सा हैं और नीग्रो उनका । नीग्रों की पीड़ा श्वेतों के क़द को घटा देती है व नीग्रो लोगों की आज़ादी इनका क़द बढ़ा देगी ।" किंग ने नस्ली भेदभाव की लड़ाई को एक नैतिक आयाम दिया, जिसने उनके पीड़ित बंधुओं को सम्मान दिलाया । अत्याचारी गोरों की अन्तरात्मा को झकझोर कर रख दिया । अपने आध्यात्मिक झुकाव व वक्तव्यों के माध्यम से एवं कभी-कभी उदारवादी रुख़ अपनाकर मार्टिन ने दोनों नस्लों के बीच रिश्ते सुधारने का प्रयास किया ।

1963 नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था । अलबामा राज्य का बर्मिंघम शहर अश्वेतों के समानता के लिए संघर्ष का केन्द्र बिन्दु बना । इस शहर में दोनों आबादियां अलग-अलग रहती थी, मतदाता के अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन होता था । नौकरियों में भेदभाव व्याप्त था और अश्वेतों के प्रति भेदभाव, हिंसा व उनका अपमान यहां रोज़मर्रा की घटनाएं थीं । किंग ने यहां एक सफल नागरिक अधिकार अभियान चलाया । महीनों तक चले इस अभियान को पूरी तरह अहिंसा के सिद्धांतों पर संचालित किया गया था, लेकिन श्वेत पृथकतावादियों ने अभियान को असफल करने के लिए हिंसा का सहारा लिया ।

आख़िरकार 1963 की गर्मियों के आख़िरी दिनों में यह नागरिक अधिकार आंदोलन उस समय अपने चरम पर पहुंचा जब वाशिंगटन डीसी में "वाशिंगटन मार्च" का आयोजन किया गया । यहीं पर किंग ने अपना ऐतिहासिक "मेरा स्वप्न (आई हैव ए ड्रीम)" भाषण दिया । सेल्मा शहर किंग की सफलता का एक ओर उदाहरण है । उनके अभियान स्वरूप यहां पर प्रशासन द्वारा अश्वेत वोटरों का रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए अपनाए जा रहे विभिन्न चालाकीपूर्ण तरीक़ों को उजागर किया गया ।

इस संघर्षों की बदौलत आख़िरकार 1964 में नागरिक अधिकार क़ानून (सिविल राइट एक्ट) पारित हुआ व अश्वेतों को मतदान का अधिकार एवं सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का अधिकार मिला । रोज़गार में इनके साथ हो रहा भेदभाव समाप्त हुआ । इसके साथ ही 'समान रोज़गार अवसर आयोग' भी अस्तित्व में आया । 35 वर्ष की उम्र में 1965 में किंग को नोबेल पुरस्कार से नवाज़ा गया ।

अपने संघर्षी जीवनकाल में किंग को तक़रीबन 20 बार जेल जाना पड़ा, श्वेत अतिवादियों ने उन पर कई बार हमला किया, उनके घर पर बमबारी की गयी । उन्होंने लाखों मील की यात्राएं की, 2500 से अधिक भाषण दिये, तथा 5 किताबें और दर्जनों लेख लिखे ।

मानव इतिहास में युद्ध, दासता, उपनिवेशवाद, रंगभेद व

अस्पृश्यता की घटनाओं की उपस्थिति मानवीय विरोधाभासों की सूचक हैं । डॉ॰ किंग के शब्दों में ''मानव की प्रगति न तो स्वचालित है और न ही अपरिहार्य । न्याय की प्राप्ति की दिशा में बढ़ाया गया हर क़दम इस उद्देश्य के लिए समर्पित लोगों से अथक प्रयास, पूर्ण समर्पण, त्याग, दुख व संघर्ष मांगता है ।''

(लेखक शिकागो स्थित सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषक हैं ।)

डॉ॰ मुनीश रायज़ादा

शिकागो, अमेरिका

समाज के बौद्धिक वर्ग से निवेदन

आपसे सविनय निवेदन है कृपया करके भारत को धर्म, भाषा, जाति, वर्ग, लिंग के आधार पर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, क्षेत्र के नाम पर विभाजित न करें, किसी के भी मानवाधिकारों पर प्रहार न हो ।

कोई भी हाशिये पर न चला जाए, सभी का सम्युत्थान हो, समाज के कमज़ोर वर्गों का विशेष ध्यान रखें । हम सभी भारतवासी एक गुलदस्ता हैं जिसमें सभी धर्म, भाषा, जाति, वर्ग लिंग के रंगीन पुष्प मिलकर गुलशन की आभा-खुशबू महकाते हैं ।

आओ हम सब मिलकर एकता-स्नेह के सूत्र में भावनाएं संजोकर सीप के मोती की माणिक भारत को सौंदर्य के आयाम प्रदान करे ।

शशिप्रभा शर्मा

हापुड़, ग़ाज़ियाबाद (उ॰प्र॰)

(2)

माताओं-पिताओं और गुरुजनों से

आप सभी से सविनय निवेदन है कृपया बच्चों के समग्र विकास के लिए उनके सन्मुख अपने आदर्श रखें । बच्चों के बाल मनोविज्ञान को समझकर ही उनके साथ व्यवहार करें ।

बच्चे माता-पिता गुरु से बहुत कुछ सीखते हैं । बालसुलभ मन उनके आचार-व्यवहार को आत्मसात करके अपना व्यक्तित्व विकास करता है इसलिए अपनी गरिमा बनाए रखें ।

बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं । समाज में उनका शोषण किसी भी प्रकार से न हो इसका ध्यान बाल विकास मंत्रालय रखे, बच्चों का मासूम बचपन उनसे न छीने, बच्चा वही बनेगा जो आप बनाएंगे, इसलिए आप सभी बच्चे के व्यक्तित्व विकास में अपना अमूल्य योगदान दें ।

(3)

सांसदों से

17वीं लोकसभा का गठन होने जा रहा है । मतदाताओं का आपसे सविनय अनुरोध है कि आचार संहिता का अनुपालन करें ।

संसद में अशोभनीय अमर्यादित आचरणों की पुनरावृत्ति न हो, अनुशासनहीन राजनीति जहां संसद की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह रेखांकित करती है, वहीं आपके आचरण की छवि भी राष्ट्रीय स्तर पर भी धूमिल होती है, मतदाता क्षुब्ध होता है ।

संसद लोकतंत्र का केन्द्र है । अपेक्षा है कि हमारे माननीय सांसद महोदय आगामी लोकसभा में अध्यक्ष जी का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन शालीनता से करेंगे ।

अग्रिम शुभकामनाओं सहित...सादर ।

शशिप्रभा शर्मा

पन्नपुरी, हापुड़, ग़ाज़ियाबाद (उ॰प्र॰)

25 yrs. Service (Regd.)

AL KAUSAR HOLY HERBAL

HOSPITAL & RESERCH CENTRE

(A minority Unit of Islamic Medicine Under Art.30 (1) Const. of India)

Founder: **Al-Hajj Dr. ABDUR RASHEED**

Ph.D. (HOLISTIC HERBAL)

Medicine of Hazrat Mohammad (S.A.W)
By faith of ALLAH
Shyamganj Road, B.Deoghar - 814112
(Jharkhand) India

Kidney, Heart, Liver, Pancreas, Uterus, disorders, Pain Control, Asthama, Child Birth (Cardio, Uro, Nephro, Neuro, Gastroe, Gynae, Hemato, Diabeto Intercentral cardio, Bronco etc.)

Recharge your body, mind, psyco, soul, desire heart way of "Islamic medicine". Further treatment require or not feels within 7 to 19 days

(Rooms available)

Enquiry: 9955725769, E-mail: alkausarreached@gmail.com

Bank of India, Deoghar Branch A/c-446110100000871

IFS Code No. BKID 0004461

हज़रत जाबिर इब्ने-अब्दुल्लाह (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने कहा–"उसके लिए अल्लाह के पास कोई दया नहीं है, जो अपने भाइयों के साथ दया नहीं करता है।"

(बुख़ारी, मुस्लिम)

A Well Wisher

PATNA

इस्लामी त्योहार

■ मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

त्योहार का संबंध वास्तव में मनुष्य के आंतरिक भाव और भावनाओं से, विशेष रूप से उसके आनंदमय भाव से होता है । यह आंतरिक भाव जितना गहरा और अर्थपूर्ण होगा, त्योहार का महत्व और उसका मूल्य भी उतना ही अधिक होगा । खुशी और आनंद के बिना कोई भी समाज जीवंत नहीं हो सकता । इसीलिए स्वीकार किया गया है कि त्योहार और सामाजिक जीवन में चोली-दामन का संबंध होता है ।

एक खुशी और आनंद तो वह है जिसका संबंध केवल व्यक्ति विशेष से होता है, दूसरे लोगों से नहीं होता । इसके विपरीत एक खुशी और आनंद वह है जिससे अधिक-से-अधिक लोग संबंध रखते हैं । त्योहार का संबंध वास्तव में इसी दूसरी प्रकार की खुशी से होता है । इस दूसरे प्रकार की भावनाओं और खुशियों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए त्योहार का आविर्भाव हुआ है । अतएव त्योहार में संयुक्त और सामान्य खुशियों का प्रदर्शन किया जाता है । अर्थात यह खुशी सब मिलकर मनाते हैं । यह चीज़ लोगों में सामाजिकता का भाव पैदा करती है और त्योहार इसे बार-बार जीवंत करता रहता है ।

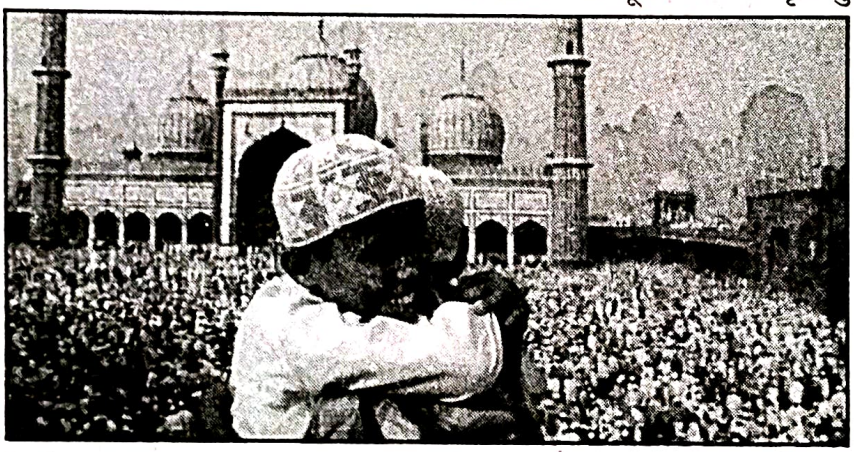

वे भावनाएं जो किसी त्योहार की मूल आत्मा की हैसियत रखती हैं, उनका संबंध या तो किसी व्यक्तित्व से होता है या किसी विशेष देश या ऋतु या मौसम से होता है या फिर उसका संबंध किसी विशेष ऐतिहासिक घटना से होता है या फिर उसके पीछे कोई परंपरा या अंधविश्वास काम कर रहा होता है ।

इस्लाम एक विश्वव्यापी धर्म है, इसलिए उसकी अन्य शिक्षाओं की भांति उसके त्योहारों में भी अत्यंत व्यापकता पायी जाती है । इस्लाम किसी ऐसे दृष्टिकोण या धारणा का समर्थक नहीं जो पक्षपात और संकुचित दृष्टिकोण पर आधारित हो या जो सांप्रदायिकता और पक्षपात का कारण बन सकता हो । इस्लाम ने संपूर्ण मानवता के लिए उन परंपराओं और भावनाओं को महत्व दिया है, जो सारी मानवता के लिए महत्व रखती हैं ।

ईदुल-फ़ित्र इस्लाम का एक विशेष त्योहार है । यह त्योहार एक ऐसे अवसर पर मनाया जाता है, जबकि लोग रमज़ान के महीना भर के रोज़ों और तरावीह और क़ुरआन की तिलावत आदि महत्वपूर्ण प्रशिक्षण और आध्यात्मिक कार्यक्रमों को पूरा करके निवृत्त हुए होते हैं ।

क़ुरआन से ज्ञात होता है कि रमज़ान के रोज़ों का बड़ा महत्व है । इन रोज़ों को बड़ी चेतनता के साथ रखना बड़े श्रेय की बात है, जिसकी साधारणत: लोग कल्पना भी नहीं कर सकते । क़ुरआन बताता है कि रोज़े का वास्तविक उद्देश्य ईशपरायणता की उपलब्धि है । दूसरे शब्दों में, रोज़े का वास्तविक उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा मनुष्य में ईश्वर का भय, उसका आदर और उसकी बड़ाई का एहसास पैदा हो जाए और वह हर प्रकार की बुराइयों से बचते हुए ऐसे जीवन व्यतीत करने के योग्य बन जाए जो एक उत्तरदायी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है और वह उस क़ुरआन के प्रति अपने दायित्व को पहचाने जो इस महीने में अवतरित हुआ है और जिसमें सारे ही मनुष्यों के लिए मार्गदर्शन है, जिसके द्वारा मनुष्य सत्य-असत्य और खरे-खोटे में आसानी से अंतर कर सकता है ।

क़ुरआन में ऐसे प्रत्यक्ष प्रामाणिक तथ्यों का वर्णन हुआ है कि उनके अंतर्गत जीवन व्यतीत करने वाला कभी

पथ-भ्रष्ट नहीं हो सकता । रोज़ा रखकर मनुष्य वास्तव में ईश्वर की महानता को स्वीकार करता और उसका प्रदर्शन करता है । उस पर ईश्वर के प्रताप, उसकी महानता और उसकी बड़ाई का एहसास इतना छाया होता है कि उसके आगे खाना-पीना आदि तुच्छ होकर रह जाते हैं । रोज़ा यह बताता है कि जीवन केवल खाने-पीने और लैंगिक इच्छाओं के पूरा करने का ही नाम नहीं है, बल्कि जीवन का मूल्य इन सबसे बढ़कर है ।

ईश्वर की महानता को स्वीकार न करना जड़ता और अकृतज्ञता की बात है । ईश्वर उन लोगों से, जो यह किताब रखते हैं, स्वभावत: यह अपेक्षा करता है कि उसकी अनुकंपाओं से लाभांवित होकर वे अकृतज्ञ बनकर न रहें, बल्कि उसके कृतज्ञ हों और उनकी कृतज्ञता का प्रदर्शन केवल मुख तक सीमित न रहे, बल्कि जीवन के प्रत्येक मामले में, चाहे उसका संबंध परिवार से हो या उनका संबंध लेन-देन या व्यापार से या वह मामला राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों से हो । वे तमाम ही मामलों और विषयों में ईश्वर के आदेशों का पालन करेंगे और अपने दिल में किसी प्रकार की तंगी महसूस नहीं करेंगे, बल्कि उनका हाल यह होगा कि वे ईश्वर के अत्यंत कृतज्ञ होंगे और ईश्वर की अनुकंपाओं के ज्ञान के साथ कृतज्ञता का यह भाव भी बढ़ता चला जाएगा ।

यह उद्‌गार और भाव कभी ठंडा पड़ने का नहीं, क्योंकि इस भाव का कारण ईश्वर की अनुकंपाएं ही हैं, जिनका कभी अंत होने का नहीं । रमज़ान में मनुष्य को जो प्रशिक्षण होता है और बंदगी और आराधना के द्वारा उसकी चेतना में जो पवित्रता आ जाती है, उससे मानव के व्यक्तित्व का जो निर्माण और विकास होता है, उसके शील-स्वभाव और चरित्र को जो बल मिलता है और उसका जो आत्मिक विकास होता है, वह एक ऐसी उपलब्धि है कि उस पर हज़ार खुशियां निछावर की जा सकती हैं ।

वायु, जल और यह अनाज आदि सभी चीज़ें भौतिक दृष्टि से ज़रूरी हैं । वास्तव में ये सब चीज़ें ईश्वर की अनुकम्पा और उसके उपकार का जीवंत प्रमाण हैं । लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें मनुष्य के शारीरिक अस्तित्व के लिए हैं, जबकि कुरआन और उसकी शिक्षाएं ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य की आत्मा और उसके चरित्र से संबंध रखती हैं और सत्य यह है कि ईश्वर की ओर से यह मार्गदर्शन मानवता के लिए महान उपलब्धि है । इसका एहसास उस समय होता है, जबकि इनके प्रभाव से एक पवित्र जीवन प्राप्त होता है और ईश्वर के बताए हुए नियमों और शिक्षाओं पर आधारित मानव-सभ्यता का निर्माण होता है और संसार शांतिमय हो जाता है । आत्मा को शान्ति और परितोष प्राप्त होता है और हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं ।

सारांश यह कि ईदुल-फ़ित्र का त्योहार इस एहसास को उभारता है कि हमको जो चीज़ भी मिली है, वह असाधारण है और अनुपम है । यह त्योहार संयुक्त खुशियों और संयुक्त भावनाओं के प्रदर्शन का त्योहार है । अतएव इसे दुनिया के सारे ही मुसलमान मनाते हैं, भले ही उसका संबंध किसी भी क़ौम और रंग से हो । सभी इसके लिए ईश्वर के आभारी होते हैं कि उन्हें इसका अवसर मिला कि उन्होंने खुदा की महानता और उसकी बड़ाई के प्रदर्शन को अपना जीवन ठहराया और ईशपरायणता को अंगीकार करने के लिए सतत सचेष्ट रहे ।

रमज़ान के रोज़े रखे और अपने सजदों के द्वारा ईश्वर की महानता के आगे अपने को विस्मृत करते रहे और इस एहसास को ज़िन्दा रखा कि ईश्वर की बड़ाई के आगे हर बुलन्दी पस्त है और उसकी खुशी और रज़ामन्दी के आगे हर चीज़ तुच्छ है और वह ईश्वर का आभारी रहे । ईश्वर ने उन्हें अपनी महानता का ज्ञान प्रदान किया और उन्हें उन लोगों में सम्मिलित किया जो उसकी बड़ाई को स्वीकार करते हैं और

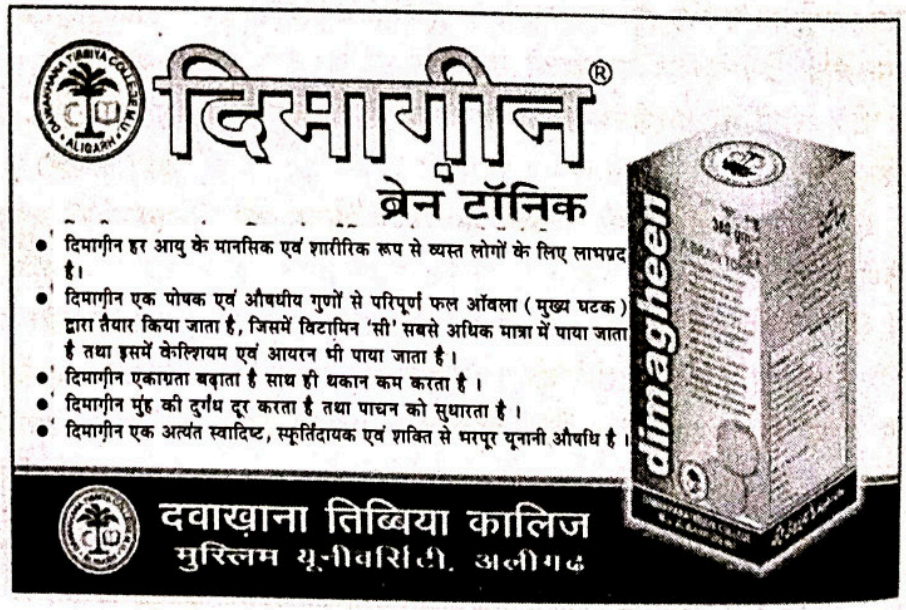

मानवता के हितैषी होते हैं, उनके दुख और उनकी उदासी को दूर करके दुनिया में रहना चाहते हैं ।

खुशी और आनंद के प्रदर्शन के जो सभ्य तरीक़े होते हैं, ईदुल-फ़ित्र में उन्हीं को अपनाने का आदेश दिया गया है । ऐसे तरीक़ों से रोका गया है जो अनुचित और असभ्य तरीक़े हैं । उदाहरणार्थ निर्लज्जतापूर्ण गाने, राग-रंग, मदिरापान, अपशब्द और गाली-गलौज आदि । इस त्योहार में उन्हीं परंपराओं को स्वीकार किया गया है जो मर्यादाहीनता, निर्लज्जता और असभ्यता से बिल्कुल पाक हों । दिल बहलावे और मनोरंजन को सभ्यता के दायरे में रखा गया है और इसकी ताकीद की गयी है कि त्योहार मनाने में गंभीरता और मर्यादा को कदापि आघात न पहुंचे ।

ईदुल-फ़ित्र ऐसा त्योहार है जिसे एक बन्दगी और इबादत की हैसियत प्राप्त है । ईश्वर का गुणगान और उसकी बड़ाई के वर्णन को इसमें शामिल किया गया है । यह त्योहार वास्तव में कृतज्ञता प्रदर्शन का त्योहार है । ईदुल-फ़ित्र के अवसर पर यह पहलू पूर्ण रूप से दिखायी देता है ।

इस त्योहार के अवसर पर स्त्री-पुरुष और बच्चे सभी प्रात: स्नान करते, अच्छे-से-अच्छा कपड़ा, जो उन्हें प्राप्त होता है, पहनते हैं । खुशबू लगाते हैं ।

इसकी ताकीद है कि इस खुशी के अवसर पर दीन-दुखियों को कदापि भुलाया न जाए । इसके लिए सदक़ा-ए-फ़ित्र अनिवार्य किया गया है, ताकि कोई व्यक्ति इस दिन भूखा न रह जाए ।

आदेश है कि सभी लोग बस्ती से बाहर निकल कर ईदगाह में एकत्र हों, रास्ते में तकबीर पढ़ते हुए अर्थात ईश्वर की बड़ाई का वर्णन करते हुए निकलें, क्योंकि ईश-ज्ञान और ईश्वर की पहचान ही जीवन की निधी, बल्कि समस्त जीवन और हमारी खुशियों का आधार है । फिर यह आदेश दिया गया है कि जिस रास्ते से ईदगाह आएं, उसे छोड़कर दूसरे रास्ते से घर लौटें, ताकि बस्ती का हर हिस्सा ईश-गुणगान से प्रकाशमय हो जाएं ।

साधारणत: लोग नहीं जानते कि ईद में खुशी, आनंद और उत्तम भावनाओं का पूर्ण प्रदर्शन उस समय होता है जब ईदगाह में लोग ईश्वर के आगे पंक्तिबद्ध होकर खड़े होते और उसे सजदा करते हैं । सबसे आनंददायक और सबसे प्रिय दशा इन्सान के लिए वह है जिसमें उस संबंध का प्रदर्शन होता है जो ईश्वर और उसके बन्दों के मध्य पाया जाता है ।

ज़ाहिर है कि यह दशा ईश्वर के आगे झुकने और उसे सजदा करने से बढ़कर कोई दूसरी नहीं हो सकती । ईश्वर और बन्दे के मध्य पाए जाने वाले संपर्क और संबंध का प्रदर्शन जीवन का सबसे अधिक मधुर संगीत है । जीवन का सबसे अधिक भाव-विभोर करने वाला और आत्मा के लिए जीवंत क्षण वही है जब बन्दा ईश्वर के आगे सजदा करता है ।

इसी लिए ईश्वर के आगे सजदा किये बिना ईद का यह त्योहार अपनी पूर्णता को नहीं पहुंचता । इसी तरह ग़रीबों, दीन-दुखियों की उपेक्षा करके भी यह त्योहार मनाया नहीं जा सकता है । इस त्योहार में ईश्वर के बन्दों के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उसका पूरा ध्यान रखा गया है ।

यह त्योहार बताता है कि सभी मनुष्य एक परिवार की हैसियत रखते हैं । उनमें परस्पर सहानुभूति, हितैषिता और प्रेम का संबंध होना चाहिए । यह त्योहार अपने दामन में सारी मानवता को समेट लेता है । समस्त मानवों को खुशियों में शरीक देखना इस्लाम की मूल आत्मा है । ईदुल-फ़ित्र के द्वारा इस्लाम का प्रदर्शन होता है और इससे अज्ञान का निषेध होता है । क्या अच्छा होता कि हम ईदुल-फ़ित्र की वास्तविकता, उसके उद्देश्य और उसकी अर्थवत्ता को समझ पाते ।

0291-2658786

HOTEL
Crown Plaza

A/C & Non A/C Air Cooled
Rooms & Dormitory

Opp. Minerva Centre,
Railway Station Road, Jodhpur-342001 (Raj.)
Cell : 9784856007, 9414110345

½ km from the railway station

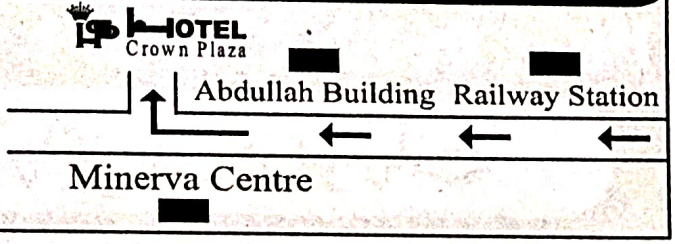

इस्तेहार.....इस्तेहार.....इस्तेहार

ख़ज़ाना ज्वैलर्स

प्रो॰ मो॰ साबिर
मो॰ यासीन

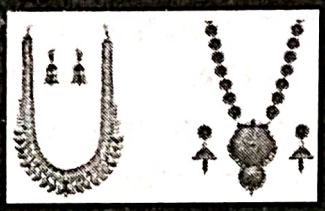

सोने और चांदी के गारंटी शुदा ज़ेवरात
मुरादपुर, पटना-4, फ़ोन : 0612-2305291

اشتہار

خزانہ جوئیلرس

مرادپور، پٹنہ ۴

khazana JEWELLERS



Ph. : 0612-2305291 NO Branch

سونے اور چاندی کے گارنٹی شدہ زیورات

माता-पिता के साथ सद्व्यवहार आवश्यक

■ सलीम शाकिर

इन्सान बचपन, लड़कपन, जवानी और प्रौढ़ावस्था से गुज़रकर वृद्धावस्था में क़दम रखता है, तो उसमें काफ़ी परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं । उसके शरीर के अंग कमज़ोर हो जाते हैं । उसकी सहनशक्ति कम से कमतर हो जाती है । उसकी स्मरण-शक्ति भी जवाब देने लगती है । धैर्य व सब्र की शक्ति भी क्षीण होने लगती है, भूख और प्यास का एहसास भी कम हो जाता है । अक्सर नींद टूट जाती है और इन परिवर्तनों के कारण उसके मिज़ाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है । एक वृद्ध इन्सान और एक छोटे बच्चे में कुछ ज़्यादा अंतर महसूस नहीं होता । ऐसी हालत में वह विवश होता है और दूसरों पर आश्रित हो जाता है ।

इन विशेषताओं की वजह से समाज में कुछ लोग अपनी मां या बाप या दोनों को अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं, जहां उनकी देखभाल की जाती है और वे मरते दम तक वहीं रहते हैं । उनके बच्चे कभी-कभार उन्हें देखने के लिए वृद्धाश्रम में आ जाते हैं, मगर कभी-कभी मां-बाप अपने बच्चों की मुहब्बत और उनके दीदार से वंचित रहते हैं । इस्लाम में वृद्धाश्रम की कोई धारणा नहीं है । औलाद की बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि वे अपने माता-पिता की देखभाल करें । अल्लाह तआला पवित्र कुरआन में फ़रमाता है–

"तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि : तुम लोग किसी की बंदगी न करो, मगर सिर्फ़ उसकी । मां-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ़ (धिक) तक न कहो, न उन्हें झिड़ककर जवाब दो, बल्कि उनसे आदर के साथ बात करो, और नम्रता और दयालुता के साथ उनके सामने झुककर रहो, और दुआ किया करो कि "पालनहार, इन पर दया कर जिस तरह इन्होंने दयालुता और करुणा के साथ मुझे बचपन में पाला था ।" (कुरआन, 17:23-24)

हज़रत कअब बिन अजरह अंसारी (रज़ि॰) से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह (सल्ल॰) ने हम लोगों से फ़रमाया–"मेरे पास आओ । हम लोग हाज़िर हो गये । आप (सल्ल॰) को जो कुछ कहना था, इसलिए मिम्बर पर जाने लगे । जब आप (सल्ल॰) मिम्बर के पहले दरजे पर अपना मुबारक क़दम रखने लगे तो फ़रमाया, आमीन ! फिर दूसरे दरजे पर रखा तो फ़रमाया, आमीन ! फिर तीसरे दरजे पर क़दम रखा तो फ़रमाया, आमीन ! फिर जो कुछ आप (सल्ल॰) को कहना था, कहने के बाद मिम्बर से नीचे उतर आए, तो हम लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह (सल्ल॰)! आज हमने आपसे एक ऐसी चीज़ सुनी, जो हम पहले नहीं सुनते थे ।"

आप (सल्ल॰) ने इरशाद फ़रमाया कि जब मैंने मिम्बर के पहले दरजे पर क़दम रखा, तो हज़रत जिबरील अलैहिस्सलाम आ गये'। उन्होंने कहा कि तबाह व बरबाद हो, वह जो रमज़ान का महीना पाए और उसमें भी मग़फ़िरत न हो, तो मैंने कहा, आमीन ! जब मैंने दूसरे दरजे पर क़दम रखा तो उन्होंने कहा कि तबाह व बरबाद हो, वह बदनसीब जिसके सामने तुम्हारा ज़िक्र आये और वह उस वक़्त भी तुम पर दरूद न भेजे, तो इस पर भी मैंने कहा, आमीन ! और जब मैंने तीसरे दरजे पर क़दम रखा तो उन्होंने कहा, तबाह व बरबाद हो वह अभागा जिसके मां-बाप या उन दोनों में से एक उसके सामने बूढ़े हो जाएं और वह उनकी सेवा करके जन्नत का भागीदार न बने, इस पर भी मैंने कहा, आमीन ! (हदीस)

उपर्युक्त कुरआन की आयत और इस हदीस से मालूम होता है कि जो आदमी अपने मां-बाप या दोनों से नरमी का व्यवहार न करे, उस पर अल्लाह तआला की लानत है । यह बद्दुआ हज़रत जिबरील अलैहिस्सलाम ने की और उस पर हमारे प्यारे नबी (सल्ल॰) ने आमीन कहा, जिससे यह एहसास होता है कि यह बहुत सख़्त दंड है । मां-बाप का आदेश मानना और उनके साथ नरमी का बरताव करना हर एक इन्सान पर अनिवार्य है । अगर मां-बाप या दोनों बहुदेववादी हों, तो भी उनके साथ नरमी का व्यवहार किया जाए, फिर भी यह ज़रूरी है कि अगर बहुदेववादी मां-बाप

हज़रत सफ़्वान इब्ने
सलीम (रज़ि॰) से रिवायत है कि
अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद
(सल्ल॰) ने कहा–"जो किसी
विधवा के कामों में मदद करता है
और ग़रीब की मदद करता है, वह अल्लाह
की राह में लड़ने वाले सिपाही जैसा है
या उसके जैसा है जो दिन में रोज़े
रखे और रात में इबादत करे।"
(बुख़ारी)

A Well Wisher

PATNA

शिर्क व कुफ़्र की तरफ़ बुलाएं, तो इस मामले में उनकी आज्ञा का पालन करने से मना किया गया है ।

एक बार अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर (रज़ि॰) मदीना मुनव्वरा का चक्कर लगा रहे थे । आपको एक घर ऐसा नज़र आया कि वहां एक अंधी वृद्धा महिला रहती थीं और उनका कोई सहायता करने वाला उनके साथ न था । आपने सोचा कि घर में जाकर उस महिला की कुछ सहायता कर सकें । पहले आपने सोचा कि घर की सफ़ाई कर दें । देखा तो घर साफ़-सुथरा था, फिर बर्तन धोने का इरादा किया तो देखा कि बर्तन भी धुले हुए थे और करीने से रखे हुए थे । आपने उस वृद्धा से पूछा कि क्या कोई आदमी आया था और घर का सारा काम करके गया था ? उसने कहा कि एक सज्जन पुरुष सुबह-सवेरे आया था, घर का सारा काम करने के बाद मुझे खाना भी खिलाकर चला गया । मैं तो अंधी महिला हूं, मुझे नहीं मालूम कि वह भला आदमी कौन था ?

अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर (रज़ि॰) ने यह इरादा कर लिया कि अगले दिन सुबह फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर आएंगे और पता करेंगे कि वह कौन व्यक्ति है ? दूसरे दिन आप फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर उस वृद्धा के घर पहुंचे और छुपकर इन्तिज़ार करने लगे । क्या देखते हैं कि कुछ देर बाद में हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि॰) तशरीफ़ लाये, घर की सफ़ाई की, बर्तन धोये, कपड़े धोकर सुखाने के लिए डाले, खाना बनाकर उस वृद्धा महिला को खाना खिलाया, फिर बर्तन धोकर आप बाहर निकल गये । यह देखकर हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि॰) रोने लग गये कि इस नेकी में भी हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि) उनसे आगे निकल गये ।

पिछले दिनों एक आलिमे दीन ने एक शिक्षाप्रद वृत्तांत सुनाया, जो बहुत ही क़ाबिले ग़ौर है । घटना यह है कि एक बार एक वृद्ध आदमी की बीवी, बेटे और बहू ने उनसे तंग आकर उनको वृद्धाश्रम में भेजने का इरादा कर लिया और उन्हें वहां ले गये । पूरी कार्रवाई करने के बाद बेटा अन्दर गया, ताकि कमरे को देखकर यह तसल्ली कर ले कि यह जगह उसके बाप के रहने के लायक़ है या नहीं । जब वह कमरे का निरीक्षण करके वापस आया, तो क्या देखता है कि उसका बाप वृद्धाश्रम के प्रबंधक से बात करने में व्यस्त हैं, यह देखकर वह अचंभे में पड़ गया ।

जब ये दोनों बातचीत करने के बाद अलग हुए, तो बेटा प्रबंधक को एक तरफ़ ले गया और उससे पूछा कि क्या तुम मेरे बाप को जानते हो ? उसने कहा जी हां, बहुत अच्छी तरह । उसने कहा कि तुम्हारा बाप और मैं क़रीब 26 साल से गहरे दोस्त हैं । मुझे अब याद आया कि तुम्हारा बाप 25 साल पहले मेरे पास आया था और मुझ से मशवरा मांगा था कि क्या मैं एक अनाथ बच्चे को अपने संरक्षण में ले सकता हूं ? मैंने उन्हें सकारात्मक जवाब दिया और वह बच्चा कोई और नहीं, बल्कि तुम ही थे ।

अब ज़रा ग़ौर कीजिए कि एक इन्सान एक अनाथ बच्चे को 25 साल से पाल-पोसकर बड़ा कर रहा है, उसके खाने-पीने, रहने-सहने और ओढ़ने-पहनने का सारा ख़र्च सहन कर रहा है । उसकी शिक्षा की सारी ज़िम्मेदारी अपने सिर ले चुका है और उसकी शादी भी कर चुका है, अब जबकि बाप असहाय हो चुका है, तो उनका एहसान चुकाने के बजाय लड़का उनको वृद्धाश्रम में डाल रहा है ।

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने इरशाद फ़रमाया-"उसकी नाक मिट्टी में सन जाए, फिर फ़रमाया उसकी नाक मिट्टी में सन जाए, फिर फ़रमाया उसकी नाक मिट्टी में सन जाए । अर्ज़ किया गया कि किसकी नाक मिट्टी में सन जाए । आपने फ़रमाया, जिसने अपने माता-पिता को वृद्धावस्था में पाया और फिर उनकी सेवा करके जन्नत में दाख़िल न हुआ ।" (मुस्लिम)

सड़कों पर कई वृद्ध लोग भिक्षा मांगते रहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो भूखे रहते हैं, मगर किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाते हैं । अक्सर लोग ऐसे लोगों की अनदेखी कर जाते हैं, जबकि ये लोग बहुत मजबूर होते हैं और उनका कोई सहायता करने वाला नहीं होता है । इस उम्र में ये लोग न कुछ काम कर सकते हैं, न कुछ कमा सकते हैं । ऐसे लोगों के प्रति हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनकी हर संभव मदद करें, ताकि वे अपना शेष जीवन आराम के साथ व्यतीत कर सकें ।

पाठकों और विज्ञापनदाताओं से निवेदन

चेक और ड्राफ्ट केवल
'कान्ति' के नाम से बनवाएं,
'मासिक कान्ति' के नाम से नहीं ।

–मैनेजर

हमारी अहम पुस्तकें

आवागमनीय पुर्नजन्म	डॉ० मुहम्मद अहमद	50.00
अनेकेश्वरवाद की वास्तविकता	मौलाना अमीन अहसन इस्लाही	70.00
धर्म क्या है क्य नहीं?	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	28.00
नफ़्स का तज़किया और हम	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	24.00
परलोक की छाया में	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	90.00
पहेली जीवन की	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	12.00
रिसालत	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	45.00
लोगोः हिसाब का समय निकट आ चुका है	मौलाना सैय्यद जलालुद्दीन उमरी	14.00
खुदा की गुलामी इंसान की बुलन्दी	मौलाना सैय्यद जलालुद्दीन उमरी	18.00
जीवन मृत्यु के पश्चात्	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	13.00
बनाव और बिगाड़	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
शान्ति-मार्ग	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
सोचने की बातें	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
नबी करीम (सल्ल०) की दुआएँ (पाकेट साइज़)	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	64.00
दरूद व सलाम	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	05.00
नमाज़ में आप क्या पढ़ते हैं?	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
इमान की कसौटी	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	08.00
खुतबाते हरम	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
इस्लाम में पाकी और सफाई	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फलाही	25.00
प्यारी माँ के नाम इस्लामी संदेश	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फलाही	10.00
मानव जीवन और परलोक	शोबा-ए-दावत	26.00
मुक्ति-मार्ग	इनामुर्रहमान ख़ाँ	12.00
मौत के बाद क्या?	डॉ० शाहिद अली	12.00
मरने के बाद क्या होगा?	बिन्तुल इस्लाम	95.00
सत्य की खोज	मौलाना वहीदुद्दीन खाँ	22.00
नशाबन्दी और इस्लाम	मौलाना अबुल्लैस नदवी	14.00
नेकियों का गुलदस्ता	साजिदा फ़रज़ाना सादिक़	26.00
नमाज़	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फलाही	14.00

MMI PUBLISHERS
D-307,Dawat Nagar,Abul Fazal Enclave,Jamia Nagar,New Delhi-110025
Phone: 26981652,26984347 Fax: 26987858
E-mail:mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

मानवता का आदर्श

● संपादन प्रभाग

मानव-जीवन की कल्याण और भलाई के मार्ग पर डालने के लिए एक आदर्श चाहिए । आदर्श वास्तव में मापदंड का काम करता है, जिस पर नाप-तौलकर यह पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार का कितना खरा है और कितना खोटा । मापदंड या आदर्श काल्पनिक भी होते हैं, जो क़िस्से-कहानी के रूप में उपदेशों में बयान किये जाते हैं और सुनकर लोग ख़ुश होते हैं । लेकिन उसका कोई वास्तविक लाभ व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन में नहीं होता ।

आदर्श होने के लिए सिर्फ़ इतना ही ज़रूरी नहीं है कि वह संभव और व्यावहारिक हो, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि वह आदर्श किसी का जीवन बन चुका हो और उसने उस पर चलकर आदर्श का व्यावहारिक नमूना पेश किया हो । उस व्यक्ति के हृदय में मानव के प्रति इतना प्रेम हो कि हर कोई उसे अपना शुभ-चिंतक समझने लगे । उसके प्रेम में डूबकर उसके आदर्श को अपनाने के लिए दीवाना हो जाए । इसके लिए वह धन और दौलत लुटाने ही को तैयार न हो, बल्कि जीवन भी बलिदान करने के लिए तत्पर हो जाए ।

इतिहास में ऐसे अनगिनत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ मानवता के उत्थान और मुक्ति के लिए बलिदान किया है । मानव का सही मार्गदर्शन किया है । उन सब पर ईश्वर की अपार कृपा हो ! दुनिया के किसी कोने में, इतिहास के किसी काल में और मानव-समुदाय की किसी जाति में उनका जन्म हुआ हो, हम उन्हें सलाम करते हैं और अपनी हार्दिक श्रद्धा उनको अर्पित करते हैं । वे सभी हमारे आदर्श पुरुष हैं ।

लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि कालांतर में उनकी जीवनी और उनकी शिक्षाएं सुरक्षित नहीं रह सकीं । कुछ ऐसे प्रमाण अवशेष हैं जिनसे हमें मालूम होता है कि वे महान और आदर्श पुरुष थे । अफ़सोस कि उनके जीवन के आकार-प्रकार और उनकी शिक्षाओं की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे पास कोई प्रामाणिक साधन नहीं है । यह ईश्वर की बड़ी कृपा है कि महान विभूतियों में एक महान व्यक्तित्व का पूरा जीवन इतिहास के प्रकाश में है । उसके जीवन और शिक्षाओं के बारे में हम जो कुछ जानना चाहें, सब मालूम कर सकते हैं । कहीं अटकल और अनुमान से काम लेने की ज़रूरत नहीं । निजी जीवन, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन भी, सब प्रकाश में हैं । यह प्रकाश-पुंज समस्त मानव-जाति की अमूल्य धरोहर है । यह व्यक्तित्व है हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) सन 571 ई० में अरब देश के 'मक्का' नगर में पैदा हुए । जन्म से पूर्व ही पिता का देहांत हो गया । बचपन ही में थोड़े-थोड़े अंतराल से उनकी माता और दादा का भी देहांत हो गया । चाचा ने उनका पालन-पोषण किया । बचपन ही से उनके स्वभाव में ऐसी विनम्रता थी कि पूरे परिवार और नगर के लोग उनका आदर करते थे । उनकी सच्चाई और नेकी की चारों तरफ़ चर्चा होने लगी । बचपन में बकरी-भेड़ चराने का काम किया ।

ANSARI STONE KOTA

Deals in :
ALL TYPES OF SAND STONE
(RED, BLUE, BROWN ETC.)

MACHINE CUT & HAND CUT SAND STONE





KOTA STONE

Address :
RAM NAGAR NEW STONE MANDI
KOTA RAJASTHAN

Mobile : 9829039190, WhatsApp : 9660853702

जवान होकर व्यापार शुरू किया । ख़दीजा (रज़ि॰) नामक एक धनवान विधवा के व्यापारिक सामानों को लादकर मंडियों में बेचा । उनकी ईमानदारी और सद्गुणों से प्रभावित होकर उस विधवा ने आप से विवाह का प्रस्ताव किया जिसे आपने स्वीकार कर लिया । आप उस समय की सामाजिक कुरीतियों और लोगों की वेदना से बहुत विकल थे । आप एक गुफ़ा में जाकर ईश्वर का मनन और समाज को उबारने के लिए प्रार्थना करने लगे । उसी गुफ़ा में उन्हें ईश्वर की प्रकाशना हुई ।

आप पर मानवजाति के मार्गदर्शन का गुरुतर भार ईश्वर की ओर से डाला गया । ईश्वर ने मानव-कल्याण के लिए उन पर 'क़ुरआन' अवतरित किया । ईश्वर के आदेश के अनुकूल वे मानव के मार्गदर्शन का काम करते रहे । समाज के स्वार्थी और सत्तावान लोगों ने उनका तीव्र विरोध किया । सज्जन और उपेक्षित लोगों ने उनकी शिक्षा को अपना लिया । आपको और आपके साथियों को मक्का के दुष्टों ने घोर यातनाएं दीं । उन्हें देश छोड़ने पर विवश होना पड़ा । दूर 'मदीना' नगर में शरण ली । मक्का वालों ने वहां भी आक्रमण किया । कई युद्ध हुए । फिर भी हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) का उनके साथ दयापूर्ण व्यवहार रहा । जब मक्का में अकाल पड़ा तो आपने मदीना से ऊंटों पर लादकर ग़ल्ले भिजवाए । इस्लामी शिक्षा का प्रचार-कार्य चलता रहा । जब अरब में हर तरफ़ इस्लाम फैल गया और मक्का के भी अधिकांश लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मक्का पर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) को विजय प्राप्त हो गयी और अपने वतन में वापसी हुई । यह अवसर था जब विरोधियों से जी भर कर बदला लिया जाता, किंतु आपने दुष्टों और अत्याचारियों को माफ़ कर दिया । इतना ही नहीं, उन्हें सम्मान और श्रेष्ठता भी प्रदान की गयी । विजेता के इस व्यवहार से अत्यंत प्रभावित होकर सबने स्वीकार किया कि सत्य आपके साथ है, और उन्होंने भी सत्य की सेवा के लिए अपने को अर्पित कर दिया ।

अपने जीवन में ही एक बड़े भू-भाग पर सत्य का राज्य स्थापित हो गया । इस राज्य में ग़रीबों, अनाथों और पीड़ितों एवं उपेक्षितों को पूरा सम्मान मिला । मानव-मानव के बीच के हर प्रकार के भेदभाव मिट गये । हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने शिक्षा-दीक्षा का उत्तम प्रबंध किया । स्वयं अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करते रहे । दूसरों की सेवा का इतना ध्यान था कि स्वयं न खाते और दूसरों को खिलाते । उनके घर कई-कई दिन चूल्हे न जलते । कुछ खजूरें खाकर पानी पी लेते । चटाई पर सोते । रातों में उठकर देर तक नमाज़ पढ़ते । यह था राज्य के सर्वोच्च अधिकारी का जीवन ।

अपने अनुयायियों में भी आपने ऐसे गुण पैदा किये कि वे निःस्वार्थ भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए सेवा-कार्य में रत रहते । स्वार्थ और सुख-भोग से दूर भागते । उन सब लोगों के सम्मिलित प्रयास से देखते ही देखते इस्लाम एशिया, यूरोप और अफ़्रीका के बड़े भू-भागों में फैल गया । गोर-काले, ऊंच-नीच, निर्बल-बलवान के भेद मिट गये । अज्ञान और अंधकार मिटने लगा । बुद्धि और विज्ञान को प्रतिष्ठा मिली । इस्लाम का आदर्श संपूर्ण विश्व में फैल गया । मानवाधिकार, न्याय का राज्य, शांति-स्थापना, सहानुभूति, स्वतंत्रता और संपूर्ण मानव-जाति से भ्रातृभाव इत्यादि आदर्श उन लोगों को भी स्वीकार करने पड़े जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था । इन सिद्धांतों की मौजूदगी में आज संसार में अन्याय और अराजकता फैली हुई है ।

इसका मूल कारण यही है कि इन शिक्षाओं को दिल से स्वीकार नहीं किया गया है । सिर्फ़ लोगों को धोखा देने के लिए ये दिखावटी आदर्श अपनाए जाते हैं और इसकी आड़ में अपने स्वार्थ की पूर्ति की जाती है ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की जीवन-व्यवस्था का सार यह है कि सत्य-मार्ग पर चलने की प्रेरक शक्ति प्रभु पर ईमान और उससे प्रेम और डर है । वह न्याय के साथ मनुष्य के कर्मों का फल देने वाला है । कोई भलाई या बुराई उससे छिपाई नहीं जा सकती । प्रभु-प्रेम में लीन होकर उसकी प्रसन्नता एवं पारितोषिक पाने की अभिलाषा मानव को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है । उसकी कठोर यातना से बचने की चिंता बुराई से रोकती है । सच्ची बात यह है कि ईश्वर में आस्था और पारलौकिक जीवन की धारणा को अपनाए बिना मानव में स्थायी रूप से उत्तम गुणों का आविर्भाव संभव नहीं ।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उन शिक्षाओं को अपनाया जाए जो जीवन को सत्य-मार्ग पर ले जा सकती हैं । इसके बिना मानवता पीड़ाओं और दुखों से मुक्त नहीं हो सकती ।

सूअर मांस का निषेध क्यों ?

■ इस्लाम ने सूअर के मांस का सेवन निषेध किया है और इसे हराम ठहराया है, पर विशेषकर पश्चिमी दुनिया के पढ़े-लिखे लोग 'पोर्क' (Pork - सूअर का मांस) का सेवन नाना प्रकार से करते हैं । फिर आख़िर इस्लाम ने इस पर रोक क्यों लगाई ?

काली प्रसाद मिश्र

रुदौली, बाराबंकी (उ०प्र०)

उत्तर : इस्लाम पूरी तरह से मानव हितकारी धर्म है । यह मानव को वैचारिक और शारीरिक दोनों स्तर पर ठीक और स्वस्थ करता है । मनुष्य के लिए जहां यह आवश्यक है कि उसके विचार, उसकी आस्थाएं-धारणाएं ठीक और दुरुस्त हों, वहीं यह भी आवश्यक है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे ताकि वह जीवन को ठीक ढंग से व्यतीत कर सके । इस्लाम ने इन दोनों पहलुओं की रियायत की है और साफ़-साफ़ बता दिया कि ये-ये चीज़ें तुम्हारे लिए लाभकारी हैं और ये-ये चीज़ें हानिकारक हैं । इस्लाम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारी रहनुमाई करता है ।

कुरआन में है–

''अत: जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें हलाल-पाक रोज़ी दी है उसे खाओ और अल्लाह की नेमत के प्रति कृतज्ञता दिखाओ, यदि तुम उसी को स्वामी मानते हो । उसने तो तुम पर केवल मुर्दार रक्त, सूअर का मांस और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो, हराम ठहराया है । फिर यदि कोई इस प्रकार विवश हो जाए कि न तो उसकी ललक हो और न वह हद से आगे बढ़ने वाला हो तो निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील, दयावान है ।''

(कुरआन, 16:114,115)

अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने जिन चीज़ों को खाने-पीने से मना किया है, वे मानव के लिए हर दृष्टि से हानिकारक हैं । ये आदेश मानव-स्वभाव के प्रतिकूल भी नहीं हैं । इन आदेशों के अनेक कारण हैं । इनके आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक और मानसिक आदि कारण हैं, जिनका उद्देश्य मानवता का समग्र व स्वस्थ विकास है । ईसाइयों के यहां भी सूअर के मांस के इस्तेमाल पर रोक का धर्मादेश मौजूद है, पर वे इसकी परवाह नहीं करते । वे अब तो इस शिक्षा को भी विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं ।

संसार के अनेक समाजशास्त्रियों और डॉक्टरों ने खान-पान के सिलसिले में इस्लाम के हलाल-हराम (वैध और अवैध) को सही माना है और यह साफ़ कहा है कि जिन चीज़ों के सेवन से इस्लाम ने रोका है, वे निश्चित रूप से हानिकारक हैं और मानवता के लिए अहितकारी हैं । इन डॉक्टरों ने शराब, सूअर के मांस और मुर्दार रक्त के इस्तेमाल को मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक माना है । जहां तक सूअर के मांस के सेवन का प्रश्न है तो डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा है कि इसके सेवन से चारित्रिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं । इसके कारण लज्जा भाव और सज्जनता में कमी आ जाती है । यूरोप के जिन देशों में इसका सेवन किया जा रहा है, वहां ये सब बुराइयां पाई जाती हैं जिनका एक मुख्य प्रमुख कारण सूअर मांस का सेवन है ।

एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन में 60 से 70 प्रतिशत लड़कियां विवाह-पूर्व मां बन जाती है । अनेक यूरोपीय देशों में शराब, 'पोर्क' और स्वच्छंदतावाद का चलन है । वहां के लोगों का गंभीर क़िस्म का नैतिक और आध्यात्मिक पतन हमारे सामने है । ब्रिटिश संसद ने तो प्रकृति के प्रतिकूल क़दम उठाते हुए समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है । अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों में इस प्रकार की मांग ज़ोर पकड़ती जा रही है । हमारे देश में भी उक्त प्रकार का विकास उत्पन्न हो रहे हैं, जो गंभीर ख़तरे की घंटी से कम नहीं है ।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अपनी जांचों में पाया है कि सूअर के मांस में पैरासाइट्स होते हैं, जो उबालने और मांस पकाने पर भी नष्ट नहीं होते । ये पैरासाइट्स शरीर में पहुंचकर आंतों में चिपक जाते हैं और नये-नये विकार को जन्म देकर मानव-स्वास्थ्य को बिगाड़ते रहते हैं और कभी तो गंभीर

बीमारियों के वाहक बन जाते हैं ।

चिकित्सीय अनुसंधानों से सिद्ध है कि भोजन का मानव स्वभाव पर भी प्रभाव पड़ता है । सभी जानते हैं कि सूअर अपने स्वभाव से आलसी और सेक्स लोलुप जानवर है, गन्दगी को पसन्द करता है और उसे चाव से खाता है । दूसरे उसके मांस में ऐसे जीवाणु (Germs) होते हैं, जो शरीर को नुक़सान पहुंचाते हैं । डॉ॰ ग्लेन शेफर्ड (Glen Shephered) अपने एक लेख में जो 'वाशिंगटन पोस्ट' (दैनिक पत्र) के 31 मई 1992 के अंक में प्रकाशित हुआ था, लिखते हैं कि "अमेरिका और कनाडा में छह लोगों में से एक को ट्रिचिनीयता Trichinosis नामक रोग हो जाता है, जो प्राय: सूअर के मांस के सेवन से होता है । इसके मांस के द्वारा ट्रिचीना (Tirchina) नामक कृमि शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है । इस रोग के शिकार लोगों का बहुत धीरे-धीरे उपचार होता है, क्योंकि रोग मुक्त होने में बहुत समय लगता है । इसके रोगियों की मृत्यु भी इस रोग के कारण हो जाती है, तो सूअर मांस भक्षकों सावधान हो जाओ ।" वे आगे लिखते हैं कि इस रोग का कोई प्रतिरोधक उपलब्ध नहीं है, न ही कोई प्रभावी दवा । अत: सूअर मांस खाने से बचना ही इस रोग से बचाव है ।

सूअर मांस के चिकित्सीय अनुसंधान पर डॉ॰ एम॰ जाफ़र ने लंदन के 'इस्लामिक रिव्यू' (जनवरी 1997) में लेख लिखा था, जिसमें लेखानुसार 'पोर्क' में बीफ़ मटन आदि के मुक़ाबले में अधिक वसा (Fat) होता है । वसा की शरीर में अधिकता अनेक रोगों के कारण बनती है । डॉ॰ जाफ़र ने बताया है कि सूअर मांस में 16 प्रकार के हानिकारक जीवाणु पाए जाते हैं, जिनके कारण शरीर में कई रोग पैदा हो जाते हैं । इन रोगों में अंत संबंधी बीमारियां और ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस (Trichinella Sprialis) नामक ख़तरनाक बीमारी मुख्य हैं । जिन देशों में 'पोर्क (सूअर-मांस) का इस्तेमाल अधिक है, वहां ये बीमारियां अधिक हैं ।

अनुसंधानों से यह भी मालूम हुआ है कि सूअर-मांस में मौजूद पैरासाइट्स (Parasites) के कारण ऐथिरोमा (Atheroma मेदाबुर्द) हो जाता है यहां तक कि हृदयघात (Heart-Attack) भी हो सकता है ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सूअर-मांस का सेवन मानव शरीर के लिए कितना हानिकारक है । इस्लाम ने भक्ष्य-अभक्ष्य चीज़ों की निशानदेही करके मानवता पर कितना बड़ा उपकार किया है । इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है ।

● डॉ॰ मुहम्मद अहमद

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "अपने घरों में भी अपनी नमाज़ों में से कुछ हिस्सा पढ़ा करो और उनको क़ब्रिस्तान न बनाओ ।"

(अबू दाऊद)

★★★★★★★

A Well Wisher

NEW MILAN MEDICAL, MANGROL, KOTA (Raj.)

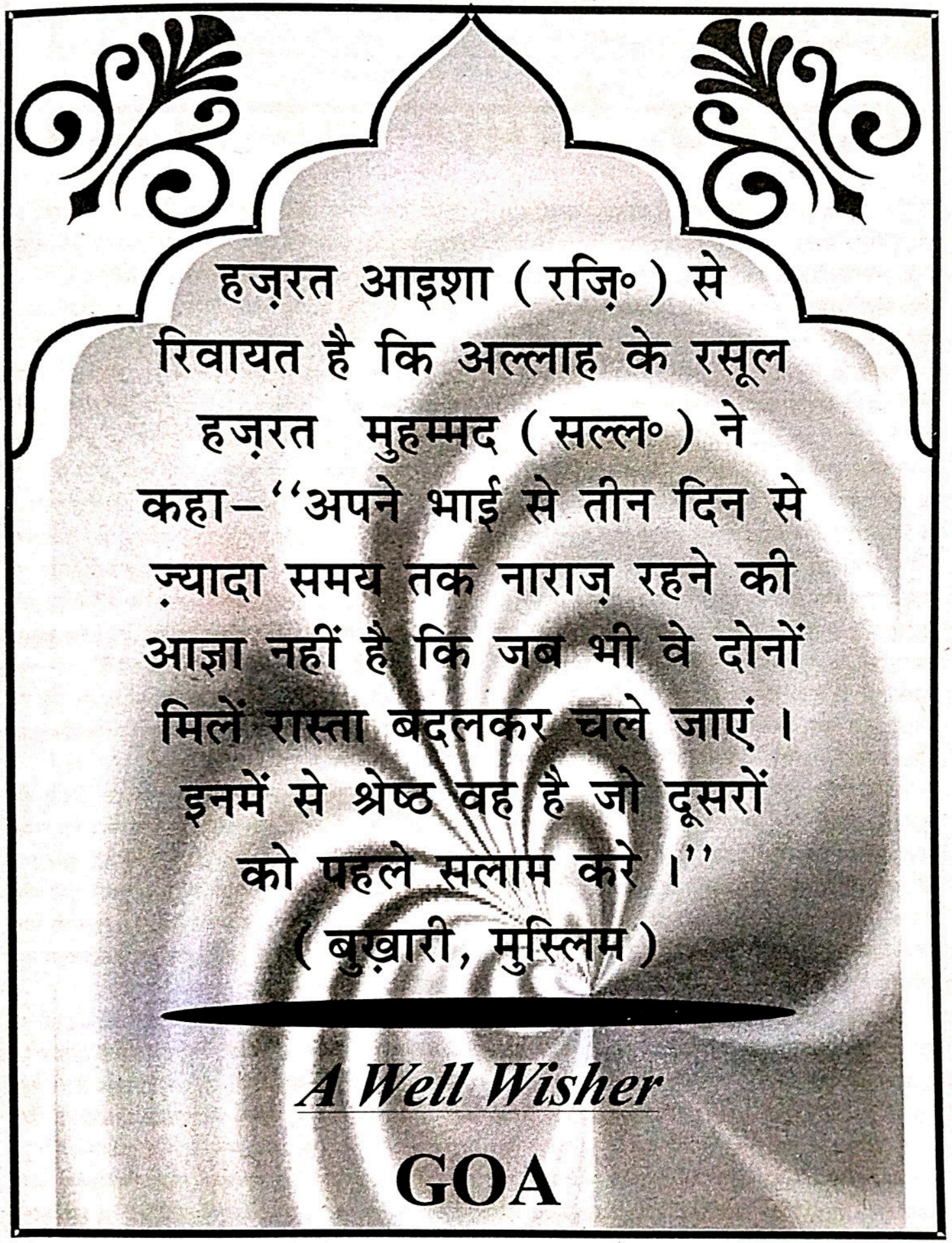
हज़रत आइशा (रज़ि॰) से
रिवायत है कि अल्लाह के रसूल
हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने
कहा–''अपने भाई से तीन दिन से
ज़्यादा समय तक नाराज़ रहने की
आज्ञा नहीं है कि जब भी वे दोनों
मिलें रास्ता बदलकर चले जाएं ।
इनमें से श्रेष्ठ वह है जो दूसरों
को पहले सलाम करे ।''
(बुख़ारी, मुस्लिम)
A Well Wisher
GOA

सामूहिक बिगाड़ का अंजाम

■ सैयद अबुल आला मौदूदी

क़ुरआन मजीद में एक अहम बात यह बयान की गयी है कि अल्लाह तआला ज़ालिम नहीं है कि किसी क़ौम को ख़ाह-मख़ाह बरबाद कर दे, जबकि वह नेक और भला काम करने वाली हो–

"और तेरा रब ऐसा नहीं है कि बस्तियों को जुल्म से तबाह कर दे, जबकि उसके बाशिन्दे नेक अमल करने वाले हों।" (क़ुरआन, सूरा-11 हूद, आय-117)

हलाक व बरबाद कर देने का अर्थ केवल यही नहीं है कि बस्तियों को उलट दिया जाए और आबादियों को मौत के घाट उतार दिया जाए, बल्कि इसकी एक सूरत यह भी है कि क़ौमों की सामूहिकता और एकता बिखेर दी जाए, उनकी सामूहिक ताक़त तोड़ दी जाए, उनको दूसरे के अधीन और अपमानित कर दिया जाए। ऊपर बयान किये गये क़ायदे के मुताबिक़ बरबादी और हलाकत के तमाम क़िस्मों में से कोई क़िस्म भी किसी क़ौम पर नहीं आ सकती जब तक कि भलाई और सुधार के रास्तों को छोड़कर बुराई, फ़साद, सरकशी और ख़ुदा की नाफ़रमानी के तरीक़ों पर न चलने लगे और इस तरह ख़ुद अपने ऊपर जुल्म न करने लगे। अल्लाह तआला ने इस नियम को सामने रखकर जहां कहीं किसी क़ौम को अज़ाब में डालने की चर्चा की है, वहां उसका जुर्म भी साथ-साथ बयान कर दिया है, ताकि लोगों को अच्छी तरह मालूम हो जाए कि वह उनके अपने कर्मों ही का फल है, जो उनकी दुनिया और आख़िरत दोनों को ख़राब करता है। क़ुरआन में है–

"हर एक को हमने उसके अपराध ही पर पकड़ा। अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला नहीं था, बल्कि वे ख़ुद ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे।"

(क़ुरआन, सूरा-29 अनकबूत, आयत-40)

दूसरी बात जो इस नियम से निकलती है वह यह है कि हलाकत व बरबादी का कारण एक व्यक्ति की बुराई या फ़साद नहीं होता, बल्कि सामूहिक रूप से पूरी क़ौम की बुराई और फ़साद होता है। यानी अक़ीदे और अमल की ख़राबियां अगर अलग-अलग रूप में व्यक्तियों में पायी जाती हों, लेकिन सामूहिक रूप में क़ौम का धार्मिक और नैतिक स्तर इतना ऊंचा हो कि व्यक्तियों की बुराइयां उसके असर से दबी रहें, तो चाहे लोग अलग-अलग कितने ही ख़राब हों क़ौम सामूहिक रूप में संभली रहती है और कोई आम बिगाड़ पैदा नहीं होता जो पूरी क़ौम की बरबादी और तबाही का कारण हो। मगर जब अक़ीदे और अमल (कर्म) की ख़राबियां व्यक्तियों से गुज़रकर पूरी क़ौम में फैल जाती हैं और क़ौम का दीनी एहसास और उसकी अख़्लाक़ी समझ इतनी बिगड़ जाती है कि उसमें भलाई और सुधार के बजाय बुराई और ख़राबियों को फलने और फूलने का मौक़ा मिलने लगे तो उस वक़्त अल्लाह तआला के करम और रहमत की नज़र ऐसी क़ौम से फिर जाती है और वह इज़्ज़त के मक़ाम से ज़िल्लत और रुसवाई की तरफ़ गिरने लगती है। यहां तक कि एक वक़्त ऐसा आता है कि अल्लाह का ग़ज़ब उस पर भड़क उठता है और उसको बिल्कुल तबाह व बरबाद कर दिया जाता है।

क़ुरआन मजीद में इसकी बहुत-सी मिसालें बयान की गयी हैं। हज़रत नूह (अलैहि॰) की क़ौम को उस वक़्त बरबाद किया गया जब अक़ीदे और अमल की ख़राबियां उनके अन्दर जड़ पकड़ गयीं और ज़मीन में फैलने लगीं और यह उम्मीद ही बाक़ी न रही कि उस गन्दे पेड़ से कभी कोई अच्छा फल पैदा होगा। आख़िरकार मजबूर होकर हज़रत नूह (अलैहि॰) ने अपने रब से दुआ की–

"मेरे परवरदिगार! ज़मीन पर (सत्य के) इन्कारियों में से एक को भी ज़िन्दा न छोड़। अगर तूने इनको छोड़ दिया तो ये तेरे बन्दों को गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल से जो पैदा होगा वह बदकार और (सत्य का) सख़्त इन्कारी ही पैदा होगा।" (क़ुरआन, सूरा-71 नूह, आयत-26,27)

आद की क़ौम को उस वक़्त तबाह किया गया, जब बुराई और फ़साद ने उनके दिलों में यहां तक घर कर लिया

दोनों लोकों में तबाही

कि अत्याचारी, फ़सादी और ज़ालिम लोग उनकी क़ौम के लीडर और शासक बन गये और भलाई और सुधार करने वाले लोगों के लिए सामाजिक व्यवस्था में कोई स्थान बाक़ी न रहा । क़ुरआन में है–

"और ये आद हैं जिन्होंने अपने रब का हुक्म मानने से इन्कार और उसके रसूलों की नाफ़रमानी की और अत्याचार करने वाले हक़ के हर दुश्मन के पीछे चलते रहे ।"

(क़ुरआन, सूरा-11 हूद, आयत-59)

लूत (अलैहि॰) की क़ौम को उस वक़्त हलाक किया गया जब उनकी अख़्लाक़ी हालत इतनी घटिया और गन्दी हो गयी और उनमें निर्लज्जता यहां तक बढ़ गयी कि खुलेआम सभाओं और बाज़ारों में अश्लीलता के काम करने लगे । उनमें अश्लीलता और बेहयाई को बुरा समझने का एहसास ही बाक़ी न रहा । क़ुरआन में है–

"(लूत ने कहा कि) तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो और रास्तों में लोगों को छेड़ते और सताते हो और अपनी महफ़िलों में बदकारियां करते हो ।"

(क़ुरआन, सूरा-29 अनकबूत, आयत-29)

मदयन वालों पर उस वक़्त अज़ाब आया जब पूरी क़ौम भ्रष्ट व ख़यानत करने वाली और लेन-देन के मामले में बुरी और बेईमान हो गयी । कम तौलना और अधिक लेना कोई ऐब न रहा और क़ौम का अख़्लाक़ी एहसास यहां तक ख़त्म हो गया कि जब उनके इस ऐब पर रोक-टोक की जाती तो शर्म से सिर झुका लेने के बजाय वे उलटे उस रोक-टोक करने वाले को बुरा-भला कहते और उनकी समझ में न आता कि उनमें कोई ऐसा सेब भी है जो निन्दा के क़ाबिल हो । वे बदकारी करने वालों को बुरा न समझते बल्कि जो इन हरकतों को बुरा कहता उसी को ग़लत और निन्दा के क़ाबिल समझते ।

"और (शुऐब ने कहा) ऐ मेरी क़ौम के लोगों ! इन्साफ़ के साथ नापो और तौलो और लोगों को उनकी चीज़ें कम न दो और ज़मीन में फ़साद न फैलाओ ! ...उन्होंने जवाब दिया कि ऐ शुऐब ! तू जो बातें कहता है उनमें से तो अक्सर हमारी समझ ही में नहीं आतीं और हम तो तुझे अपनी क़ौम में कमज़ोर पाते हैं और अगर तेरा क़बीला न होता तो हम तुझे संगसार (पत्थरों से मार-मारकर हलाक) कर देते ।" (क़ुरआन, सूरा-11 हूद, आयतें-85,91)

बनी-इसराईल को ज़िल्लत, दरिद्रता, अल्लाह के ग़ज़ब और लानत में डालने का फ़ैसला उस समय हुआ जब उन्होंने बुराई और ज़ुल्म और हरामख़ोरी की तरफ़ लपकना शुरू किया, उनकी क़ौम के नेता अवसरवादिता और मतलबपरस्ती के मर्ज़ में पड़ गये, गुनाहों के साथ उनका रिश्ता ऐसा हो गया कि उनमें कोई गरोह ऐसा न रहा, जो ऐब को ऐब कहने वाला और उससे रोकने वाला होता । क़ुरआन में है–

"तू उनमें से अक्सर को देखता है कि गुनाह और अल्लाह की हदों को पार करते और हरामख़ोरी की तरफ़ लपकते हैं । ये कैसी बुरी हरकतें थीं जो वे करते थे । क्यों न उनके बड़े लोग और उलमा ने उनकी बुरी बातों और हराम के माल खाने से मना किया ? यह बहुत बुरा था जो वे करते थे ।" (क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयतें-62,63)

"बनी इसराईल में से जिन लोगों ने इन्कार किया उन पर दाऊद (अलैहि॰) और ईसा इब्ने मरयम (अलैहि॰) की ज़बान से लानत कराई गयी । इसलिए कि उन्होंने सरकशी की और वे हद से गुज़र जाते थे । वे एक-दूसरे को बुरे कामों से नहीं रोकते थे ।"

(क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयतें-78,79)

इस आख़िरी आयत की व्याख्या में नबी (सल्ल॰) से जो हदीसें नक़ल की गयी हैं वे क़ुरआन मजीद के मक़सद को और अधिक स्पष्ट कर देती हैं । सभी हदीसों का सारांश यह है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा–

"बनी इसराईल में जब बदकारी फैलनी शुरू हुई तो हाल यह था कि एक व्यक्ति अपने भाई या दोस्त या पड़ोसी को बुरा काम करते देखता तो उसको मना करता और कहता कि ख़ुदा का ख़ौफ़ कर । मगर उसके बाद वह उसी शख़्स

के साथ घुल-मिलकर बैठता और यह बुराई को देखना उसको उस बदकार के साथ मेल-जोल और खाने-पीने में शामिल होने से न रोकता, जब उनकी यह दशा हो गयी तो उनके दिलों पर एक-दूसरे का असर पड़ गया और अल्लाह ने सबको एक रंग में रंग दिया और उनके नबी दाऊद (अलैहि॰) और मरयम के बेटे ईसा (अलैहि॰) की ज़बान से उन पर लानत की ।'' (हदीस : तिरमिज़ी)

हदीस बयान करने वाले कहते हैं कि जब पैग़म्बर (सल्ल॰) करते हुए इस बात पर पहुंचे तो जोश में आकर उठ खड़े हुए और कहा–

''क़सम है उस पाक हस्ती की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम पर लाज़िम है कि नेकी का काम करो और बुराई से रोको और जिसको बुरा काम करते देखो उसका हाथ पकड़ लो और उसे सीधे रास्ते की तरफ़ मोड़ दो और इस मामले में हरगिज़ उदारता न दिखाओ, वरना अल्लाह तुम्हारे दिलों पर भी एक-दूसरे का असर डाल देगा और तुम पर भी उसी तरह लानत करेगा जिस तरह बनी इसराईल पर की ।''

अक़ीदे और अमल की ख़राबी एक-दूसरे के संपर्क से फैलने वाली बीमारी यानी महामारी की तरह है । महामारी में कोई मर्ज़ शुरू में कुछ कमज़ोर लोगों पर हमला करता है । अगर हवा-पानी अच्छा हो, स्वास्थ्य-रक्षा के उपाय दुरुस्त हों, गन्दगियों और प्रदूषणों को दूर करने का काफ़ी इन्तिज़ाम हो और मर्ज़ से प्रभावित होने वाले मरीज़ों का वक़्त पर इलाज कर दिया जाए तो आम बीमारी महामारी का रूप नहीं लेने पाती और आम लोग उससे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर बेपरवाह हों, स्वास्थ्य रक्षक विभाग बेफ़िक्र हो, सफ़ाई के प्रबंधक गन्दगियों को नज़रअंदाज़ करने वाले हो जाएं तो धीरे-धीरे मर्ज़ के कीटाणु वातावरण में फैलने लगते हैं और उसको इतना ख़राब कर देते हैं कि सेहत के बजाय मर्ज़ के लिए मददगार हो जाता है ।

आख़िरकार जब बस्ती के आम लोगों को हवा, पानी, भोजन, लिबास, मकान मतलब यह कि कोई चीज़ भी गन्दगी और ज़हर से पाक नहीं मिलती तो उनकी जीवन-शक्ति जवाब देने लगती है और सारी की सारी आबादी आम महामारी से ग्रस्त हो जाती है । फिर ताक़तवर से ताक़तवर व्यक्ति के लिए भी अपने आपको मर्ज़ से बचाना मुश्किल हो जाता है । ख़ुद इलाज करने वाले डॉक्टर और सफ़ाई के ज़िम्मेदार और आम लोगों की सेहत की रक्षा करने वाले तक बीमारी में फंस जाते हैं और वे लोग भी हलाकत से सुरक्षित नहीं रहते जो अपनी हद तक सेहत की हिफ़ाज़त के सभी उपायों को अपनाते हैं और दवाएं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हवा का ज़हरीलापन, पानी की गन्दगी, भोजन के संसाधनों की ख़राबी और ज़मीन के प्रदूषण का उनके पास क्या इलाज हो सकता है ।

इसी पर अख़्लाक़ और आमाल की ख़राबी और अक़ीदे की गुमराहियों के बारे में भी अन्दाज़ा लगा लीजिए । उलमा क़ौम का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं । हुकूमत के लोग और दौलत वाले सफ़ाई और सेहत की हिफ़ाज़त के ज़िम्मेदार हैं । क़ौम की ईमानी ग़ैरत और जमाअत का अख़्लाक़ी एहसास जीवन-शक्ति की तरह है । इज्तिमाई (सामूहिक) माहौल की हैसियत वही है, जो हवा, पानी, भोजन और लिबास व मकान की है और क़ौमी ज़िन्दगी में दीन व अख़्लाक़ के एतिबार से भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने का वही मक़ाम है जो शारीरिक सेहत के एतिबार से सफ़ाई व स्वास्थ्य रक्षा के उपायों का है । जब उलमा और बड़े अधिकारी लोग अपने अस्ल फ़र्ज़ यानी भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने को छोड़ देते हैं और बुराई व ख़राबी के साथ उदारता का व्यवहार करते हैं ।

इससे गुमराही और दुराचार क़ौम के लोगों में फैलनी शुरू हो जाती है और क़ौम की ईमानी ग़ैरत कमज़ोर होती चली जाती है, यहां तक कि सारा सामाजिक माहौल ख़राब हो जाता है । क़ौमी ज़िन्दगी का वातावरण भलाई और सुधार के लिए ग़ैर-मुनासिब और बुराई और ख़राबी के लिए अनुकूल हो जाता है । लोग नेकी से भागते हैं और बुराई से नफ़रत करने के बजाय उसकी तरफ़ खिंचने लगते हैं, नैतिक मूल्य उलट जाते हैं, ऐब हुनर बन जाते हैं और हुनर ऐब । उस वक़्त गुमराहियां और बदअख़्लाक़ियां ख़ूब फलती-फूलती हैं और भलाई का कोई बीज पनपने के क़ाबिल नहीं रहता । ज़मीन, हवा और पानी सब उसकी परवरिश करने से इन्कार कर देते हैं, क्योंकि उनकी सारी ताक़त नुक़सानदेह व ख़राब पेड़-पौधों को पालने-पोसने में लग जाती है । जब

किसी क़ौम की यह हालत हो जाती है तो फिर वह अल्लाह के अज़ाब की हक़दार हो जाती है ।

अत: उस पर ऐसी आम तबाही नाज़िल होती है जिससे कोई नहीं बचता, चाहे कोई ख़ानक़ाहों में बैठा हुआ रात-दिन इबादत करता रहा हो । इसी के बारे में क़ुरआन मजीद में कहा गया है–"बचो उस फ़ितने से जो केवल उन्हीं लोगों को मुसीबत में न डालेगा, जिन्होंने तुममें से अत्याचार किया है ।" (क़ुरआन, सूरा-8 अनफ़ाल, आयत-25)

इब्ने अब्बास (रज़ि॰) इसी आयत की व्याख्या में कहते हैं कि अल्लाह तआला का मंशा इस आयत से यह है कि बुराई को अपने सामने न ठहरने दो, क्योंकि अगर तुम बुराई के ताल्लुक़ से उदारता अपनाओगे और उसको फैलने दोगे तो अल्लाह की तरफ़ से अज़ाब नाज़िल होगा और उसकी लपेट में अच्छे और बुरे सब आ जाएंगे । ख़ुद नबी (सल्ल॰) ने इस आयत की व्याख्या इस तरह की है–

"अल्लाह ख़ास लोगों के अमल पर आम लोगों को अज़ाब नहीं देता, मगर जब वे अपने सामने बुराई को देखें और उसको रोकने की सामर्थ्य और ताक़त रखने के बावजूद उसको न रोकें तो अल्लाह ख़ास और आम सबको अज़ाब में डाल देता है ।" (हदीस : तबरानी)

क़ौम की अख़्लाक़ी और दीनी सेहत को बनाए रखने का सबसे बड़ा ज़रिया यह है कि उसके हर व्यक्ति में ईमानी ग़ैरत और अख़्लाक़ी एहसास मौजूद हो, जिसको नबी (सल्ल॰) ने एक सटीक शब्द 'हया' यानी लज्जा नाम दिया है । हया अस्ल में ईमान का एक अंश है जैसा कि नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया है–

"हया ईमान में से है ।" एक मौक़े पर जब नबी (सल्ल॰) से पूछा गया कि हया दीन (धर्म) का एक अंग है ? तो आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "वह पूरा दीन है ।"

हया (लज्जा) का मतलब यह है कि बुराई और गुनाह के कामों से मन में स्वाभाविक रूप से नफ़रत पैदा हो और दिल उससे घृणा करे । जिस व्यक्ति में यह (गुण) मौजूद होगा वह न के बुराइयों से बचेगा, बल्कि दूसरों में भी उनको बर्दाश्त न कर सकेगा, वह बुराइयों के प्रति उदार न होगा जुल्म और गुनाहों से समझौता करना उसके लिए मुमकिन न होगा । जब वह बुराई होते देखेगा तो उसकी ईमानी ग़ैरत जोश में आ जाएगी और वह उसको हाथ से या ज़बान से मिटाने की कोशिश करेगा या कम से कम उसका दिल इस ख़्वाहिश से बेचैन हो जाएगा कि उस बुराई को मिटा दे । हदीस में है–

"तुममें से जो कोई बुराई को देखे, वह उसे अपने हाथ से मिटा दे और अगर ऐसा न कर सकता हो तो ज़बान से कहे और अगर यह भी न कर सकता हो तो दिल से बुरा माने और यह सबसे कमज़ोर ईमान है ।"

(हदीस : मुस्लिम)

जिस क़ौम के लोगों में आम तौर पर यह गुण मौजूद होगा, उसका धर्म सुरक्षित रहेगा और उसका नैतिक स्तर कभी न गिर सकेगा, क्योंकि उसका हर व्यक्ति दूसरे के लिए जायज़ा लेने वाला और निगरां होगा और अक़ीदे और अमल की ख़राबी को उसमें दाख़िल होने के लिए कोई राह न मिल सकेगी ।

क़ुरआन मजीद का मक़सद अस्ल में ऐसी ही एक आइडियल सोसाइटी (आदर्श समाज) बनाना है, जिसका हर व्यक्ति अपने दिली रुझान और अपनी फ़ितरी ग़ैरत व हया और ख़ालिस अपने ज़मीर की हरकतों का जायज़ा लेने और निगरानी करने के फ़र्ज़ को अंजाम दे और किसी मेहनताने के बग़ैर ख़ुदा का फ़ौजदार बना फिरे–

"और इस तरह हमने तुमको इन्साफ़ करने वाली उम्मत और बीच की राह चुनने वाली उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर निगरानी करने वाले बनो और रसूल तुम्हारा निगरां हो ।" (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-143)

इसी लिए मुसलमानों को बार-बार बताया गया है कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना तुम्हारी क़ौमी ख़ासियत है, जो हर मुसलमान मर्द और औरत में निश्चित तौर पर होनी चाहिए । क़ुरआन में है–

"तुम बेहतरीन क़ौम हो, जिसे लोगों के लिए बनाया गया है । (क्योंकि) तुम नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो ।"

(क़ुरआन, सूरा-3 आले-इमरान, आयत-110)

"मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक-दूसरे के मददगार हैं । नेकी का हुक्म करते और बुराई से रोकते हैं ।"

(क़ुरआन, सूरा-9 तौबा, आयत-71)

"वे नेकी का हुक्म करने वाले और बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की हदों की हिफ़ाज़त करने वाले हैं।"
(क़ुरआन, सूरा-9 तौबा, आयत-112)

"ये वे लोग हैं, जिन्हें हम अगर ज़मीन में हुकूमत देंगे तो ये नमाज़ क़ायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म करेंगे और बुराई से रोकेंगे।" (क़ुरआन, सूरा-22 हज, आयत-41)

अगर मुसलमानों का यह हाल हो तो उनकी मिसाल उस बस्ती जैसी होगी जिसके हर बाशिन्दे में सफ़ाई और सेहत की हिफ़ाज़त का एहसास हो। उसका हर व्यक्ति न केवल अपने जिस्म और अपने घर को पाक-साफ़ रखे, बल्कि बस्ती में जहां कहीं गन्दगी और बुरी चीज़ देखे उसको दूर कर दे और किसी जगह भी गन्दगी और बुरी चीज़ों के रहने को बर्दाश्त न करता हो।

ज़ाहिर है कि ऐसी बस्ती का वातावरण पाक और साफ़ रहेगा उसमें बीमारी के कीटाणु परवरिश न पा सकेंगे और अगर इक्का-दुक्का कोई व्यक्ति कमज़ोर और बीमार होगा तो उसका वक़्त पर इलाज हो जाएगा या कम से कम उसकी बीमारी केवल व्यक्तिगत बीमारी होगी। दूसरों तक फैलकर आम महामारी का रूप न ले सकेगी।

लेकिन अगर मुसलमानों की क़ौम उस बुलंद दर्जे पर न रह सके तो सोसाइटी की दीनी (धार्मिक) व अख़्लाक़ी सेहत को बरक़रार रखने के लिए कम से कम एक ऐसा गरोह तो उनमें ज़रूर मौजूद होना चाहिए जो हर वक़्त इस ख़िदमत पर लगा रहे और अक़ीदे की गन्दगियों और नैतिकता व अमल की ख़राबियों को दूर करता रहे। क़ुरआन कहता है–"तुममें एक गरोह ऐसा होना चाहिए जो भलाई की तरफ़ बुलाने वाला हो। नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके।" (क़ुरआन, सूरा-3 आले-इमरान, आयत-104)

यह गरोह उलमा और हाकिमों का गरोह है, जिसका नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने में लगे रहना उतना ही ज़रूरी है जितना शहर की सफ़ाई और सेहत की रक्षा करने वाले विभाग का अपने काम में सख़्ती के साथ लगा रहना। अगर ये लोग अपने फ़र्ज़ से ग़ाफ़िल हो जाएं और क़ौम में एक गरोह भी ऐसा बाक़ी न रहे जो भलाई और सुधार की तरफ़ बुलाने वाला और बुराइयों से रोकने वाला हो तो दीन और अख़्लाक़ के एतिबार से क़ौम की तबाही उसी तरह यक़ीनी है जिस तरह जिस्म और जान के एतिबार से उस बस्ती की तबाही यक़ीनी है, जिसमें सफ़ाई व सेहत की हिफ़ाज़त का कोई इन्तिज़ाम न हो। गुज़री हुई क़ौमों पर जो तबाहियां नाज़िल हुई हैं वे इसी लिए हुई हैं कि उनमें कोई गरोह भी ऐसा बाक़ी नहीं रहा था जो उनको बुराइयों से रोकता और भलाई व सुधार पर क़ायम रखने की कोशिश करता।

"तुमसे पहली क़ौमों में कम-से-कम ऐसे समझदार क्यों न हुए जो ज़मीन में फ़साद से रोकने वाले होते। सिवाय कुछ आदमियों के जिनको हमने उनमें से बचाकर निकाल दिया।" (क़ुरआन, सूरा-11 हूद, आयत-116)

"क्यों न उनके आलिमों और सरदारों ने उनको बुरी बातें कहने और हराम खाने से रोका ?
(क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयत-63)

अत: क़ौम के उलमा और हाकिमों पर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। वे केवल अपने ही कर्मों के प्रति जवाबदेह नहीं, बल्कि पूरी क़ौम के कर्मों की जवाबदेही भी एक बड़ी हद तक उन पर आती है। ज़ालिम व अत्याचारी और ऐशपसंद हुक्मरान और ऐसे हुक्मरानों की चापलूसी करने वाले उलमा और धर्मगुरुओं का तो ख़ैर कहना ही क्या है ! उनका जो कुछ अंजाम ख़ुदा के यहां होगा उसके ज़िक्र की ज़रूरत नहीं।

लेकिन जो हुक्मरान, उलमा और धर्मगुरु अपने महलों और अपने घरों और अपनी ख़ानक़ाहों में बैठे हुए परहेज़गारी, तक़वा और इबादत वग़ैरह में लगे हुए हैं, वे भी ख़ुदा के यहां जवाबदेही से बच नहीं सकते, क्योंकि जब उनकी क़ौम पर हर तरफ़ से गुमराही और बदअख़्लाक़ी के तूफ़ान उमड़े चले आ रहे हों, तो उनका काम यह नहीं है कि एकांत में सिर झुकाए बैठे रहें, बल्कि उनका काम यह है कि मैदान का बहादुर बनकर निकलें और जो कुछ ताक़त और असर अल्लाह को उनको दिया हुआ है उसको काम में लाकर उस तूफ़ान का मुक़ाबला करें। तूफ़ान को दूर करने की ज़िम्मेदारी निस्संदेह उन पर नहीं, मगर उसके मुक़ाबले में अपनी पूरी ताक़त लगा देने की ज़िम्मेदारी तो यक़ीनन उन पर है।

बेकल उत्साही की याद

■ जावेद क़मर

बेकल उत्साही को हमसे बिछड़े दो बरस पूरे हो चुके हैं, मगर दिल अब भी विश्वास करने को तैयार नहीं है कि वह अब हम में नहीं है । बहुत दिल चाहा तो आज क़लम उठाने पर यह मुश्किल सामने आयी कि बात कहां से शुरू करें । दिवंगत से मेरी जान पहचान कोई एक दो वर्ष की बात नहीं, बल्कि लगभग 13 वर्ष तक मुझे उनकी संगति हासिल रही । वह मेरे इलाक़े के थे । इसलिए शुरू से ही मैं उनके नाम और काव्य दोनों से अवगत हो चुका था ।

उनकी नातें, उनके गीत चारों तरफ़ गूंज रहे थे । पहली बार मैंने उन्हें शरीयत के एक जलसे में देखा और सुना । उसके बाद मैं उनके व्यक्तित्व से प्रभावीत हो गया । उसके एक साल बाद ही उनसे मुलाक़ात का मौक़ा भी मिल गया ।

बैकल साहब के क़रीब में 1980 में आया । मैं तब अलीगढ़ में पढ़ रहा था जब दिवंगत डॉ॰ मुहम्मद उमर जो उस समय हमारे क्षेत्र के मेंबर असेंबली भी थे, ने अपने इंटर कॉलेज में बेकल समारोह का आयोजन किया । उस मौक़े पर जो एतिहासिक मुशायरा हुआ । वह हमारे इलाक़े के बुज़ुर्गों के दिमाग़ में अभी तक ज़िंदा है । बेकल समारोह के वास्तविक प्रेरक हाफ़िज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब थे और मैं उसका कन्वीनर । फिर कुछ ऐसा हुआ के अलीगढ़ से मैं दिल्ली आ गया और पत्रकारिता से जुड़ गया । उन दिनों पूरी उर्दू दुनिया में '20वीं सदी' पत्रिका की धूम थी । यहां मेरी नियुक्ति सब-एडीटर के रूप में हुई ।

अब होता है कि मैं केवल साहब जब दिल्ली आते । मुझे पहले से फ़ोन कर देते । यह वह ज़माना है जब बेकल साहब शोहरत की बुलंदियों पर थे । इस 13 बरस की लम्बी संगति में ऐसे कई मुशायरे मेरे ज़ेहन में अभी ज़िंदा हैं जिन्हें बेकल साहब ने अपनी आवाज़ और कलाम से लूट लिया था । दिल्ली में डी॰सी॰एम॰ का गौरवपूर्ण मुशायरा हो या लालक़िले का ऐतिहासिक मुशायरा हर जगह बेकल साहब माइक पर आते तो महफ़िल को दरहम-बरहम कर दिया

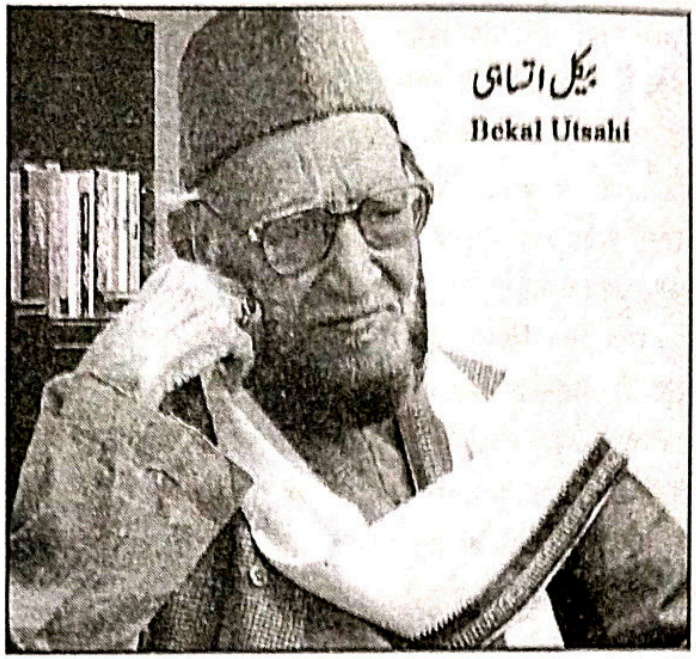

करते थे । बेकल साहब एक ज़मींदार घराने में पैदा हुए । कई गांव तक उनकी ज़मींदारी फैली हुई थी । उनका गांव कटिया मधुवा जोत अतरावल और बलरामपुर के बीच स्थित है । साहब ने कई जगह यह बात लिखी है कि उनके घर में भी शिक्षा का रिवाज नहीं था । क़ुरआन नाजरा और उर्दू की मामूली शिक्षा कोई आम मदरसों में होती थी मेराज समझा जाता था । बेकल साहब बचपन से ही प्रतिभाशाली थे । वह अपने ख़ानदान के पहले शख़्स हैं जिन्होंने इंटर तक बाक़ायदा शिक्षा हासिल की । बाद में उन्होंने कई परीक्षाएं पास कीं ।

हरदोई ट्रेनिंग के लिए भी गये, मगर पिता जी की हिदायत पर नौकरी नहीं की । बेकल साहब ने 1944 से ही शेअ्र कहना शुरू कर दिया था । उनकी मृत्यु के बाद विभिन्न अख़बारों में लेख प्रकाशित हुए । उनमें से कुछ में उनकी जन्म तिथि 1928 लिखी है । लेकिन उनके ग़ज़लों की सामग्री जो प्रति उन्होंने ख़ुद मुझे भेंट किया था । उसमें किताबत की जो ग़लतियां थीं उसे उन्होंने अपने हाथ से ठीक किया था । उसी संदर्भ में उन्होंने अपनी जन्म तिथि भी ठीक की थी और 1928 की जगह 1924 लिखा था ।

अलबत्ता 1952 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक

जलसे को ख़िताब करने गोंडा आए तो उनकी मौजूदगी में बेकल साहब ने पूरबी ज़बान में किसानों के लिए एक गीत पढ़ा जिसकी ज़बरदस्त तारीफ़ हुई । फिर जब पंडित नेहरू बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने बेकल साहब की तरफ़ इशारा करते हुए कहा कि इस नवजवान ने बड़ी इंप्रेसिंग शायरी पेश की और कहा कि इसकी शायरी हौसला देने वाली है । इसके बाद पीठ पीछे मुड़कर लोगों से पूछा कि इसे हिंदी में क्या कहेंगे । किसी ने कहा कि उत्साही तो पंडित जी ने कहा कि यह बहुत उत्साही नवजवान है । उसके बाद यह लफ़्ज़ बेकल साहब की शख़्सियत का हिस्सा बन गया ।

एक दिन किसी नौकर ने बेकल साहब के पिताजी से कहा कि मालिक भोलन भैया बहुत अच्छा गाते हैं । उनके पिताजी ने खुश होने के बजाय अपने बेटे की इस प्रशंसा पर सख़्त गुस्सा का इज़हार करते हुए कहा कि तौबा, तौबा तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो, जिसने हमारे ख़ानदान का सर शर्म से झुका दिया है । सैन्यकला वाले ख़ानदान में अगर गीत और ग़ज़ल गाई जाने लगे तो समझो और ख़ानदान की इज़्ज़त मिट्टी में मिल गयी । इसके कुछ दिनों बाद ही एक घटना ऐसी घटी जिसे हम बेकल साहब की ज़िंदगी का टर्निंग भी कह सकते हैं ।

हुआ यह की ग़रीब हलवाहों और मज़दूरों की हालत पर तरस खाकर उन्होंने कुछ ज़मीन उनके नाम कर दी और सरकारी काग़ज़ों में उनको दर्ज भी करवा दिया । इसके कारण उन्हें 1949 ई० में घर से निकाल दिया गया । यहीं से उनके संघर्ष भरे जीवन की शुरुआत हुई । इस दौरान उन्होंने एक स्कूल खोला । कई साल स्कूल चलाया और मुशायरों में भी भाग लेते रहे ।

अपनी शायरी के हवाले से एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा है कि मैं गांव से आया था । इसलिए जब शायरी करनी शुरू की तो मैंने तो इस बात को महसूस किया कि हमारी ग़ज़ल या शायरी एक ख़ास दायरे में क़ैद है । इस पर अरबी और फ़ारसी का प्रभाव अधिक है और शायद इसीलिए इसका दायरा भी शहरी ज़िंदगी तक सीमित है । इसके विपरीत खुसरू, कबीर, तुलसी, जायसी और रहीम के दोहे गीत या छंद गांव के चौपालों पर गाए जा रहे थे । ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों न गांवों क़स्बों और चौपालों तक पहुंचाया जाए । इसलिए मैंने अपनी ग़ज़लों के विषय वहीं से उठाए और शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की जो आम लोगों के लिए अपरिचित न हो ।

हज़रत मुआज़ इब्ने जबल (रज़ि०) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा–"अल्लाह कहता है कि मेरे लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि मैं उन लोगों से मुहब्बत करूं जो मेरे लिए एक-दूसरे से मुहब्बत करते हैं, मेरे लिए एक-दूसरे से मिलते हैं और मेरे लिए एक-दूसरे पर ख़र्च करते हैं ।"

A Well Wisher

ASIF ANSAR

B. S. ENTERPRISES

MANGROL

KOTA (Raj.)

अनशनी राजनीति

■ राजीव शर्मा

चौधरी घिरनी प्रसाद अपने गांव के एकमात्र ऐसे आदमी थे, जिन्होंने खेती-बाड़ी के बजाय पुलिस में भर्ती होना ज़्यादा पसंद किया । पुलिस वाला होने में एक ख़ास रौब है, जो किसान या अध्यापक होने में बिल्कुल नहीं । यह अलग बात थी कि उन्हें आज तक कभी बंदूक़ चलाने का मौक़ा नहीं मिला । जवानी में ही उनकी जान-पहचान बड़े अधिकारियों से हो गयी थी, इसलिए इस विभाग में तरक़्क़ी करने में उन्हें अधिक मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ीं । जेल में एक से एक घाघ क़िस्म के चोर, लुटेरे और अपराधी भरे पड़े थे, लेकिन किसी ने भी उन पर मिज़ाज दिखाने की कोशिश नहीं की । वैसे घिरनी प्रसाद का स्वभाव ही ऐसा था कि वे बेवजह किसी को परेशान नहीं करते । उनकी दूरदर्शिता के कारण जेल में भाईचारे का माहौल बन गया था । सभी क़ैदी और कर्मचारी दोस्त थे । कहीं कोई खटपट नहीं थी । रोज़ रात को वहां महफ़िल सजती । दिन के उजाले में जब सब अपने अस्ली वेश में आ जाते, वहीं रात की रोशनी में यहां अलग ही रंग होता । न कोई छोटा और न बड़ा । यह सामान्य-सी बात है कि तब सभी क़ैदी और पुलिस वाले शराब के अलावा किसी और पदार्थ का सेवन नहीं करते, लेकिन घिरनी प्रसाद ने सिवाय हुक्के के किसी और नशे को पनाह नहीं दी । इधर कुछ दिनों से तंबाकू के साथ-साथ गांजा भी गुड़गुड़ाने लगे थे ।

इसी सिलसिले में दिन बीते, महीने बीते और साल पर साल बीतते-बीतते नौकरी से विदाई का दिन आ गया । आज थानेदार घिरनी प्रसाद सेवानिवृत्त हो रहे थे । शाम के कार्यक्रम में शहर के जाने-माने अतिथियों के सामने विदाई भाषण हुआ, जिसमें उनकी बेदाग़ राजकीय सेवा की तारीफ़ की गयी । इसके बाद सबने घर की राह ली ।

दूसरे दिन गांव पहुंचने पर दोस्तों और रिश्तेदारों ने थानेदार साहब का भारी स्वागत किया । आज गांव भर में सबकी ज़ुबान पर सिर्फ़ उन्हीं का नाम था । लोग कहते, 'इसे कहते हैं बहादुर आदमी । नौकरी भी की तो शान से, और जिसका नाम क़ैदी भी इज़्ज़त से लेते हैं । भला धरती पर ऐसा कहीं हो सकता है ? यह तो चौधरी जी की ही माया है, जिससे भेड़िए जैसे बदमाश क़ैदी भी गऊ बन जाते हैं । कई लोगों को सुधारा, लेकिन किसी की आंख की किरकिरी नहीं बने । क्या मज़ाल जो किसी को एक डंडा भी मारा हो । आख़िर ऐसे ही महापुरुषों से तो यह दुनिया चल रही है, वरना आज ऐसे बेईमानों का ज़माना है, जो कपट और फ़रेब से सोने की दीवार खड़ी कर लेते हैं ।

कई दिनों तक यह चर्चा गांव के घरों में होती रही, लेकिन धीरे-धीरे यह दौर कमज़ोर होता चला गया । आख़िर दुनिया के पास चर्चा करने के और भी कई कारण होते हैं । थानेदार साहब का पुलिसिया रौब अब फीका पड़ चुका था । अगर वे वैद्य या ज्योतिषी रहे होते, तो बात कुछ और होती ।

अगस्त का महीना आ गया । देश भर में अन्ना हज़ारे द्वारा अनशन के ऐलान की चर्चा जोरों पर थी । गांव-शहर में अन्ना के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे । आमतौर पर इस मौसम में बरसात होती है, लेकिन इस बार न जाने क्यों बादल अधिक मेहरबान नहीं हुए । जो थोड़ी-बहुत बूंदें बरसी थीं, उनसे खुश होकर किसान खेतों में फ़सल बो चुके थे । । रोज़ उमड़-घुमड़कर बादल आते, लेकिन वे भी पड़ोसी गांव पर ही मेहरबान थे । वहां के कुएं-तालाब पानी से लबालब भर चुके थे और यहां एक बूंद बरसाने में भी ऐसी कंजूसी ।

15 अगस्त के दिन गांव में बड़ा उत्सव हुआ । स्कूल में घिरनी प्रसाद मुख्य अतिथि की कुर्सी पर बैठाए गये, क्योंकि पूरे गांव में उस समय इतना प्रतिष्ठित आदमी कोई और न था । बच्चों के कार्यक्रम के बाद सबसे आख़िर में मुख्य अतिथि का भाषण तय किया गया आमतौर पर उस समय तक बच्चों का धैर्य जवाब देने लग जाता है ।

घिरनी प्रसाद भाषण देने उठे, मंच पर आकर मुश्किल से पांच मिनट ही बिताए होंगे कि बच्चे मिठाई लेकर घर की ओर निकलने लगे । आज पहली बार उन्हें भयंकर क्रोध आया । वे मन ही मन सोचने लगे कि यह कैसी नादानी है ! क्या इनके मां-बाप ने इन्हें इतना भी नहीं सिखाया कि जब कोई भला आदमी अच्छी सीख दे, तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए ।

दरअस्ल इसमें ज़्यादा क़सूर घिरनी प्रसाद का ही था। उन्होंने मंच पर आते ही अपनी पुलिसिया ज़िंदगी के क़िस्से सुनाने शुरू कर दिए, जिनमें बच्चों की कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसी दिन से उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि वे अपना खोया हुआ सम्मान पुनः हासिल करेंगे। घर आने के बाद उन्होंने पत्नी से बात की।

घिरनी : अब मेरी कोई इज़्ज़त नहीं रही। ऊपर वाले से बिनती है कि जल्दी बुला लें।

पत्नी : आज आप को क्या हो गया है ? कहीं गांजे की चिलम तो नहीं चढ़ गयी ?

घिरनी : क्यों माथा खाती हो ? क्या मेरे पास गांजा पीने के अलावा और कोई काम नहीं ?

पत्नी : अजी, मैं क्यों माथा खाने लगी ? जिस दिन ब्याह कर लाए थे, तब से आज तक कौन-सा सुख दिया है ? सिवाय नौकरानी के मुझे समझा ही क्या है ? यह तो भला हो मेरे बापू का जिन्होंने सोने के कंगन बनवा कर दे दिए, वरना आपकी ओर से तो चाहे हम जीएं या बैकुंठबास करें। आपका बस चलता तो हमें भी हथकड़ी पहना देते। चोर-उचक्कों को छोड़कर कहीं भले आदमियों के साथ भी रहे हो, जो कुछ दुनियादारी सीखते !

घिरनी : अब बस भी करो, हमेशा मुझ पर ही शेरनी हो जाती हो। क्या मैं बहस में तुम्हें जीत पाया हूं ? देखो, गुस्सा मत करो।

मैं अब कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि गांव में लोग फिर मेरा मान-सम्मान करने लग जाएं।

पत्नी : मान-सम्मान तो करते ही हैं। रामदीन चपरासी तो आज भी तुम्हें हाकिम समझता है। शाम को जब घूमने निकलते हो, तो चौपाल पर बैठे सभी लोग दुआ-सलाम करते हैं, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए ?

घिरनी : मैं कहता हूं तुम अक़्ल के मामले में सदा पैदल ही रहोगी। भला यह भी हो सकता है कि अपने ज़माने के गुंडे-बदमाशों की हेकड़ी निकालने वाला आज ऐसी ज़िंदगी जिए, जिसमें न रौब है, न हुकूमत की ताक़त। जब रास्ते से निकलता हूं तो बच्चे भी मुझसे नहीं डरते।

पत्नी : तो क्या करोगे ?

घिरनी : इस बार गांव में अच्छी बरसात नहीं हुई है, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि बरसात होने तक अनशन करूंगा।

पत्नी : मती तो नहीं मारी गयी आपकी, जो बैठे-बैठे यह मुसीबत मोल लेना चाहते हैं ! कोई अनशन नहीं करना, यहां आराम से रहो। क्या धरा है नाम में ?

घिरनी : तुम मुझे कभी नहीं समझ सकोगी। एक बार अनशन पर बैठ जाने दो, फिर देखो मैं कैसी हवा बांधता हूं। सभी अख़बारों में मेरा नाम छपेगा, तारीफ़ होगी। छोटे-मोटे अफ़सरों की तो बिसात ही क्या, विधायक और सांसद तक माथा टेकने आएंगे।

पत्नी : यह तो आपने ख़ूब कही, लेकिन ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जाएं।

घिरनी : तुम मुझे हमेशा मिट्टी का माधो ही समझोगी। देखना इस बार मैं आर या पार की लड़ाई छेड़ने वाला हूं।

रात को ही पूरे गांव में ऐलान कर दिया गया कि घिरनी प्रसाद कल से अनशन पर बैठने वाले हैं। जो सज्जन उनके साथ इस मुहिम में शामिल होना चाहें, वे आ सकते हैं। किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। हां, कमज़ोर दिल के लोग आने का कष्ट न करें। घोषणा सुनकर गांव में सनसनी फैल गयी। कुछ ही देर बाद यह ख़बर दूसरे गांवों में भी पहुंच गयी। बुज़ुर्गों ने वाह-वाही की, विरोधियों ने अफ़वाहें फैलायी और लड़कों ने खिल्ली उड़ाई।

16 अगस्त की सुबह वे जल्दी उठे और भरपेट भोजन किया। ठीक आठ बजे अनशन स्थल पर आ टिके। 10 बजे तक पूरा गांव उमड़ चुका था। पत्रकार फ़ोटो लेने लगे। सबसे शांति बनाए रखने की अपील करने के बाद घिरनी प्रसाद उठे और सभा को संबोधित करने लगे, पत्रकार दोस्तों, गांव के सज्जनों और प्यारे बच्चों इन्सान की ज़िन्दगी एक ख़ास मक़सद के लिए मिली है। जो इसे समझ लेता है, उसके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है और जो नासमझ इसे यूं ही मौज-मस्ती में उड़ाते हैं, वह सदा यूं ही गोते खाते रहते हैं। मैं आज अनशन पर बैठा हूं, पर मेरी कोई निजी अभिलाषा नहीं है। ऊपर वाले की दया से मेरे पास सब कुछ है। सेवा करने वाली सुंदर बीवी और आज्ञाकारी बेटे हैं। एक अरबी घोड़ा पिछले महीने ही ख़रीदा है लेकिन मैं उन पाखंडियों में से नहीं हूं जो सदा अपना ही घर भरते हैं। अगर बरसात होगी, तो इससे सबका भला होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। अगर मेरे प्राण निकल जाने पर भी बरसात हो जाए तो ख़ुद को धन्य मानूंगा।

शाम हो गयी। अब तक अनशन की ख़बर जंगल में आग की तरह चारों ओर फैल चुकी थी। जिसे देखो वही इसी मामले पर चर्चा कर रहा था। रात को गांव के बड़े बुज़ुर्ग इकट्ठे हुए। सब ने फ़ैसला किया कि आज यहां

भजनों का आयोजन होना चाहिए । वाद्य यंत्रों की व्यवस्था हो चुकी थी । भजन करते-करते आधी रात बीत गयी । चिलम सुलगाई गयी सब बारी-बारी से पीने लगे । साथ-साथ बातचीत भी होने लगी ।

पहला : चौधरी, अबके बरस बरसात हो जाने दो, फिर देखो छोरी का ब्याह फागुन से पहले कर दूंगा ।

दूसरा : भजन-भाव में आने से पहले कम से कम गृहस्थी की गधा गाड़ी घर पर ही छोड़ आया करो ।

घिरनी : यह इतिहास की घड़ी है काका, कोई हंसी-दिल्लगी नहीं । यह तो भला हो आप जैसे लोगों का, जिनमें आज भी इन्सानियत बची है । वरना क्या पड़ी है किसी को दूसरे के पचड़े में फंसने की ।

फिर सभी धीरे-धीरे नींद के झोंके में लुढ़कने लगे ।

सुबह तक अनशन की चर्चा शहर पहुंच गयी । थाने के सभी मित्र गांव की ओर दौड़े । सिपाही ने सलाम किया, लेकिन आज घिरनी प्रसाद के बदन में इतनी ताक़त नहीं थी कि किसी से कुछ बात कर सकें ।

दोपहर को तय किया गया कि अनशन के साथ-साथ हवन भी होना चाहिए, इससे भी जुटेगी । रात को हवन शुरू हुआ । उधर स्कूली लड़के जयकारे लगाकर वातावरण को जोशीला बना रहे थे । हवन की लाल-लाल लपटें उठ रही थीं । घिरनी प्रसाद हवन में शामिल हुए । एक तो भूखे पेट, ऊपर से गर्मी का मौसम । आग के नज़दीक बैठने पर उनका सर चकराने लगा । हाथ-पैर बेक़ाबू होने लगे थे । वे बीच में ही उठ गये । बोले, मेरा ध्यान का वक़्त हो गया है । बाक़ी हवन आप करें । मैं बाद में आता हूं ।

उस रात में हवन के पास नहीं फटके । सोचते रहे, यह मुसीबतों की माला मैंने क्यों गले में फंसाई । क्या पहले ही मुश्किलें कम थीं कि एक और विपदा ले ली । अब अगर बीच में अनशन तोड़ूं, तो जगहंसाई होगी । गांव के लड़के होली के तमाशे में मेरा मज़ाक़ बनाएंगे । दो टके की इज़्ज़त नहीं रह जाएगी ।

नींद आंखों से कोसों दूर थी । किसी तरह नज़रें बचाते-बचाते घर की ओर भागे । दरवाज़ा खटखटाया । शुक्र था की पत्नी ही सामने मिली ।

पत्नी : इत्ती रात को आप यहां !

घिरनी : यह वक़्त बहस करने का नहीं है । जल्दी से बाजरे की पांच रोटियां और सब्जी ले आओ । अनशन मेरे बस की विद्या नहीं है ।

पत्नी : मैं न कहती थी, लेकिन आपने मेरी बात कभी मानी, जो आज मानते ।

घिरनी : तुम सही कहती थी । मैं ही उल्लू था । ऐसा करो कि जल्दी से दो प्याज भी ले आओ ।

पत्नी : तो क्या अनशन तोड़ देंगे ।

घिरनी : तुम कितनी पगली हो । अगर अनशन तोड़ दूंगा तो बदनामी न होगी ? जैसे आज आया हूं, उसी तरह रोज़ आ जाया करूंगा । इस बहाने तुम से भी मुलाक़ात हो जाएगी । भाड़ में गयी भक्ति ।

दूसरे दिन स्थानीय विधायक आए । उन्होंने काफ़ी मनुहार की, लेकिन घिरनी प्रसाद को नहीं मानना था, इसलिए नहीं माने । बोले, 'प्राण दे दूंगा, पर अनशन नहीं तोड़ूंगा ।

अगले दिन अख़बारों में उनकी फ़ोटो छपी । शाम को इलाक़े के सांसद आये । उन्होंने भी मनाने में कोई क़सर बाक़ी न रखी । आख़िर वे यह कहकर लौट गये कि इन महापुरुष को अपने मक़सद से हटाना असंभव है । लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी कि इतने दिनों बाद भी घिरनी प्रसाद के चेहरे की चमक कम नहीं हुई ।

आज अनशन का 15वां दिन बीत गया । इस दौरान अन्ना का आन्दोलन तो सफल रहा, पूरे देश में उनकी जय-जयकार हो रही थी, लेकिन घिनी प्रसाद के अनशन का कोई नतीजा अब तक सामने नहीं आया था । उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी । अगर एक आदमी उनके लिए भूखा मर गया तो यह कभी न धुलने वाला कलंक साबिती होगा । उस रात ख़बर सुनने के लिए बड़े-बुज़ुर्ग चौपाल पर इकट्ठे हुए । रेडियो पर बताया गया कि अरब सागर का मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और इस बार अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है । आज अनशन का 20वां दिन था । गांव में बड़े ज़ोर की बरसात हुई । ताल-तलैया, पोखर-जोहड़ सभी भर चुके थे । स्कूल के बच्चे काफ़ी ख़ुश थे । कुछ मिट्टी के घर बना रहे थे, दूसरे काग़ज़ की नांव चला रहे थे । गांव में जुलूस निकल रहा था, क्योंकि घिरनी प्रसाद का अनशन कामयाब हो चुका था ।

दूसरे साल पंचायत के चुनाव हुए, जिनमें घिरनी प्रसाद ही सबकी सहमति से सरपंच चुन लिए गये । 20 दिन के अनशन के बदले वे 20 साल तक सरपंच रहे । पंचायत भवन में एक शिलालेख लगाया गया, जिस पर अनशन की घटना का उल्लेख है । यह गांव के लोगों को आज भी उस घटना की याद दिलाता रहता है ।

हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने कहा– "कोई व्यक्ति किसी को ख़ुश करने के लिए कोई चीज़ देता है, तो वह अल्लाह को ख़ुश करता है । जो अल्लाह को ख़ुश करता है, उसे जन्नत में जगह मिलेगी ।"

(बैहक़ी)

A Well Wisher

PATNA

बेरोज़गारी : एक अहम चुनावी मुद्दा

■ ज़हीर ललितपुरी

हिन्दुस्तान में जब-जब भी आम चुनाव होते हैं उनमें बेरोज़गारी प्रमुख मुद्दा बनती है । यक़ीनन 2019 में होने वाले आम चुनाव में भी बेरोज़गारी की समस्या एक ख़ास मुद्दा होगा । क्योंकि हाल ही में प्रकाश में आने वाले सर्वे रिपोर्ट, आंकड़े और ज़मीनी हक़ीक़त इस मसले की गंभीरता को दर्शा रहे हैं । बेरोज़गारी की इस विकराल समस्या का असर पढ़े-लिखे क़ाबिल नवजवानों की ज़िन्दगी और दिलो-दिमाग़ पर बड़ा ख़राब पड़ रहा है । बहुत सारे नवजवान निराश होकर ग़लत दिशा में जा सकते हैं । राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक़ बड़ी तादाद में नवजवान इस कारण खुदकुशी के रास्ते पर जा रहे हैं । इस मसले से नवजवान पीड़ी बहुत परेशान है और यही एक बड़ा पढ़ा-लिखा मतदाता वर्ग भी है । इसलिए इस मुद्दे का आम चुनावों के नतीजों पर असर पड़ना स्वाभाविक है । युवा मतदाता वर्ग पढ़ा-लिखा होने के कारण चुनावों में अहम भूमिका निभाता है । बेरोज़गार नवजवान चुनाव के दौरान अपनी नाराज़ी, निराशा और हताशा आगामी चुनावों में निकाल सकते हैं ।



सर्वे रिपोर्ट और आंकड़े

पाठकगण नहीं भूले होंगे कि भारत सरकार के अंतरिम बजट 2019 के 1 दिन पूर्व, 31 जनवरी 2019 को, भारत में बेरोज़गारी की स्थिति पर बिजनेस स्टेंडर्ड अख़बार ने एक ख़बर प्रकाशित की थी । इस ख़बर में दावा किया गया था कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ़िस (एन॰एस॰एस॰ओ॰) के एक सर्वे से यह तथ्य प्रकाश में आया कि साल 2017-18 में बेरोज़गारी की दर पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा रही । हालांकि सरकार की तरफ़ से इस रिपोर्ट को झुटला दिया गया । अख़बार का दावा था कि सरकार ने इस रिपोर्ट को जारी नहीं होने दिया, जबकि नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन (एन॰एस॰ओ॰) ने अपनी मंज़ूरी दे दी थी । यह भी उल्लेखनीय है की इस रिपोर्ट के संदर्भ में एन॰एस॰ओ॰ से जुड़े दो अधिकारियों ने यह कहते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था कि सरकार ने उनकी रिपोर्ट को जारी करने से मना कर दिया था ।

जब विपक्ष इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार पर हमलावर हुआ तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने उक्त रिपोर्ट को यह सफ़ाई देते हुए ख़ारिज कर दिया कि जिस रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है वो सत्यापित नहीं है और इस रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल किये गये डेटा को भी सत्यापित नहीं किया जा सका है । उन्हें कहना पड़ा था कि सरकार मार्च तक रोज़गार के बारे में रिपोर्ट जारी करेगी । बहुत पहले से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारत सरकार और विभिन्न ऐजेंसियों के सर्वेक्षण और रिपोर्टें इस ओर इशारा करते आ रहे हैं कि हमारे देश में बेरोज़गारों की संख्या बढ़ रही है । आई॰एल॰ओ॰ के मुताबिक़ वर्ष 2018 में भारत में बेरोज़गारों की संख्या 1.86 करोड़ से बढ़कर 2019 में 1.89 करोड़ तक होने का अनुमान है ।

आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा बेरोज़गारों का देश बन गया है । इस समय देश में 11 प्रतिशत आबादी बेरोज़गार है । यह वे लोग हैं जो काम करने लायक़ हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, जिनकी संख्या

लगभग 12 करोड़ है ।

ख़ुद मोदी सरकार के श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के सर्वे रिपोर्टों के अनुसार बेरोज़गारी दर पिछले पांच साल के उच्च स्तर पर पहुंच गयी है । ख़ासकर पिछले तीन साल में बेरोज़गारी की दर में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा हुआ है । श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हर रोज़ 550 नौकरियां कम हुई हैं । स्वरोज़गार के मौक़े भी घटे हैं । कुछ दिन पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट से ख़ुलासा किया गया था कि साल 2019 आते-आते देश के तीन चौथाई कर्मचारियों और प्रोफेशनल्स पर नौकरी का ख़तरा मंडराने लगेगा और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलेगा ।

बेरोज़गारी का संकट

अनुमान, आंकड़े और सर्वे रिपोर्ट ग़लत या संदिग्ध भी हो सकते हैं, इसलिए उन्हें झुठलाया जा सकता है । लेकिन बेरोज़गारी की जो ज़मीनी हक़ीक़त है उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता । मुझे पिछले साल कानपुर से वापस आते समय अजीब मंज़र देखने को मिला था ।

गोरखपुर-त्रिवंतरमपुरम सेन्ट्रल राप्तीसागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सैंकड़ों की संख्या में बेरोज़गार नवजवान मज़दूरी के लिए त्रिवेन्द्रम जा रहे थे और बड़ी मुसीबत में सफ़र कर रहे थे । ये मुसीबतज़दा नवजवान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री महामहिम योगी आदित्यनाथ के पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से और ख़ासकर गोरखपुर ज़िले के थे जिन्हें गोरखपुरिया कहा जाता है ।

चार दिन का लम्बा सफ़र था और जनरल बोगियों में बैठना तो दूर की बात ढंग से खड़े होने की भी जगह नहीं थी । हालत ऐसी थी कि जैसे सवारियों को ठूंस ठूंसकर भरा गया हो । मैं जिस जनरल बोगी में था उसमें तीन-चार लोगों की सीट पर आठ-आठ, दस-दस नवजवान बैठे हुए थे । गैलरी में बहुत बड़ी संख्या में नवजवान खड़े हुए थे जो बड़ी परेशानी में खड़े थे । बोगी के दरवाज़ों पर नवजवान लटके हुए थे । आमने-सामने के दरवाज़ों के बीच में तक़रीबन पच्चीस सवारियां खड़ी होंगी । लेट्रिन के बीच की जगह में और दो डिब्बों के बीच की जगह में कम से कम बीस-बीस सवारियां खड़ी होंगी । यह उत्तर भारत के मासूम नवजवान, चार दिन का मुसीबतों से भरा सफ़र तय करके परेशानियों से जूझते हुए, रोज़गार की उम्मीद लेकर, दक्षिण भारत के त्रिवेन्द्रम शहर जा रहे थे ।

इसी तरह जिस ट्रेन से हम ललितपुर से कानपुर गये थे उसकी हालत भी ऐसी ही थी । उस दिन झांसी में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए इम्तिहान था और दूसरे दिन कानपुर में था । झांसी के नवजवानों का परीक्षा केन्द्र कानपुर बनाया गया था और कानपुर के नवजवानों के लिए परीक्षा केन्द्र झांसी बनाया गया था । कानपुर के नवजवान झांसी से परीक्षा देकर वापस जा रहे थे और झांसी के नवजवान कानपुर परीक्षा देने जा रहे थे । इसलिए ट्रेन परीक्षार्थियों से लबालब भर गयी थी ।

उस ट्रेन में हालत वैसी ही थी, जैसे सवारियों को ठूंस-ठूंसकर भरा गया हो । तीन-चार लोगों की सीट पर आठ-आठ, दस-दस नवजवान बैठे हुए थे । गैलरी में बहुत बड़ी संख्या में नवजवान परेशानी में खड़े हुए थे । उसी तरह बोगी के दरवाज़ों पर नवजवान लटके हुए थे । उसी तरह आमने-सामने की दरवाज़ों के बीच में तक़रीबन पच्चीस सवारियां खड़ी थी । उसी तरह लेट्रिन के बीच की जगह में और दो डिब्बों के बीच की जगह में कम से कम बीस सवारियां खड़ी होंगी । उन नवजवान लड़कों के बीच में लड़कियां भी खड़ी थी । उन्हें क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं । ये दो उदाहरण यह समझने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह हमारे देश के ख़ासकर उत्तर प्रदेश के बेरोज़गार बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहे हैं ।

बेरोज़गारी की ज़मीनी हक़ीक़त

ये करुणादायक दृश्य सिर्फ़ उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हक़ीक़त को नहीं दर्शाते बल्कि समस्त भारत के बेरोज़गारों की दशा को प्रदर्शित करते हैं । हो सकता है कि अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश की दशा अत्यंत दयनीय हो । लेकिन आप कहीं भी जाकर देखिए बेरोज़गारों की एक बड़ी संख्या इस समस्या से जूझ रही है । जब भी कहीं नियुक्तियों के लिए टेस्ट होते हैं थोड़ी-सी पोस्ट पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति निकाली जाती है और लाखों की संख्या में नवजवान लड़के लड़कियां आवेदन प्रस्तुत करते हैं । चाहे अध्यापक की भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकले चाहे पुलिस भर्ती के लिए । चाहे प्रशासनिक सेवाओं के लिए आवेदन मांगे जाएं या न्यायिक सेवाओं के लिए, आवेदनकर्ताओं की भीड़ खड़ी हो जाती है ।

आवेदनकर्ताओं की भीड़ इतनी बड़ी होती है कि नयी-

नयी समस्याएं पैदा हो जाती हैं । जब आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं तब बैंक, पोस्ट ऑफ़िस और ऑन लाईन सर्विस सेन्टरों पर क़तारें ही क़तारें ही दिखाई देती हैं । उक्त टेस्ट की तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टरों में बेराज़गारों का शोषण होता है वह भी कम कष्टदायक नहीं है । टेस्ट की तैयारी के लिए जो लिट्रेचर उपलब्ध होता उसकी क़ीमतें भी आसमानी होती हैं ।

फार्म भरने से लेकर तैयारी करने तक बेरोज़गारों को कितना आर्थिक बोझ, उठाना पड़ता, कितना समय गंवाना पड़ता है और कितना शारीरिक श्रम करना पड़ता है वे ही समझ सकते हैं जो स्वयं बेरोज़गारी की लाइन में खड़े हैं । जब अभ्यर्थी परीक्षा देने जाते हैं तो उन्हें कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है उसका कुछ एहसास ऊपर लिखे हुए यात्रा वृत्तांतों से हो सकता है । अभ्यर्थियों को कठिनाई से सफ़र तो करना ही पड़ता है, लेकिन परीक्षा वाले दिन क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता । महीनों पहले से रिजर्वेशन वेबसाईट वेटिंग लिस्ट दिखाने लगती हैं और रिजर्वेशन न मिलने के कारण उन्हें खड़े-खड़े सफ़र करना पड़ता है । कभी ऐसे शहरों में जाकर देखें जहां परीक्षा के सेन्टर बनाए जाते हैं । रेलवे स्टेशनों के वेटिंग रूम, प्लेटफार्म, ओवर ब्रिज की सीढ़ियों के चारों तरफ़ नवजवानों की भीड़ दिखायी देती है ।

होटलों में जगह नहीं मिलती । टेक्सी चालक, ऑटो रिक्सा चालक और साईकिल रिक्सा चालक अपने रेट बढ़ा देते हैं । चाय और नाश्ते के दाम बढ़ जाते हैं । सुलभ शौचालयों के सामने भी भीड़ दिखाई देती हैं और सड़कों, आसपास के बाग़ीचों और पार्कों में अभ्यर्थियों की भीड़ दिखायी देती है । इन दयनीय नज़ारों को देखकर बेरोज़गारी से जूझते नवजवानों की ज़मीनी हक़ीक़त समझ में आती है ।

कमोवेश सारे हिन्दुस्तान में बेरोज़गारी के यही हालात हैं । बड़े शहरों और विकसित प्रदेशों से अधिक दूरदराज़ वाले सीमांत इलाक़ों में तो हालात और भी बदतर हैं । उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड जैसे इलाक़े इसके उदाहरण हैं । इन इलाक़ों के ज़िलों की तो हालत बहुत बदतर है । न वहां कॉलेज हैं, न कोचिंग सेन्टर हैं, न लिट्रेचर उपलब्ध हैं । इस क्षेत्रों के नवजवानों को पढ़ाई और प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता होगा । इन क्षेत्रों में रोज़गार के साधनों का बेहद अभाव है । न उद्योग धंधे हैं न फेक्टरियां हैं । अधिकतर लोग क़र्ज़ के बोझ से दबे हुए हैं । यह सिर्फ़ पढ़े-लिखे नवजवानों या सिर्फ़ अनपढ़ और कम पढ़े नवजवानों की समस्या नहीं है, बल्कि हर आम आदमी की समस्या है । बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि तमाम जगहों की यही समस्या है । ऐसा नहीं कि हिन्दुस्तान में रोज़गार की कमी है । सरकारी क्षेत्र में हर दफ़्तर में ख़ाली पद हैं । एक अधिकारी को कई अधिकारियों के बराबर काम करना पड़ रहा । एक कर्मचारी को कई कर्मचारियों के बराबर काम करना पड़ रहा है । हर कैडर में पहले से उपलब्ध पद ख़ाली हैं, जबकि बढ़ती आबादी और काम के बढ़े हुए बोझ को देखते हुए हर विभाग में नये पद सृजित कर नियुक्तियां करने की ज़रूरत है ।

बेरोज़गारी हमारी देश की एक बड़ी समस्या और हर स्तर पर इसके निदान की कोशिशों की आवश्यकता है । मौजूदा दौर में यह मसला बड़े मसलों में से एक मसला है । नवजवानों की जिस ताक़त पर हम गर्व करते हैं वह आज नौकरी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है । हम जिन नवजवानों को अपने मुल्क की सबसे बड़ी ताक़त पूंजी मानते हैं अगर उनको रोज़गार नहीं दे सकेंगे तो इस ताक़त और पूंजी का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा । वास्तव में रोज़गार हर हिन्दुस्तानी का नैसर्गिक बुनियादी हक़ है । अगर यह हक़ उसके हक़दारों को नहीं मिलता है तो यह हमारे समाज और देश की बेइज़्ज़ती है । ताहम इस मसले को हल करने की पुरज़ोर कोशिश करनी चाहिए ।

जानिए यंत्रों के नाम

- ❖ एनिमोमीटर : वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र ।
- ❖ कार्डियोग्राम : मनुष्य की हृदय गति को मापने का यंत्र ।
- ❖ लैक्टोमीटर : दूध की शुद्धता मापने का यंत्र ।
- ❖ फेदोमीटर : समुद्र की गहराई मापने का यंत्र ।
- ❖ माइक्रोमीटर : मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात करने वाला उपकरण ।
- ❖ पोलीग्राफ़ : झूठ का पता लगाने वाला यंत्र ।
- ❖ स्टेथेस्कोप : हृदय व फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र ।
- ❖ टैकोमीटर : वायुयान की गति मापने वाला यंत्र ।
- ❖ यूडोमीटर : वर्षा मापने वाला यंत्र ।

● **प्रतीक सोनी**

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा– ''ईमान वाले एक-दूसरे के लिए आईना होते हैं । ईमान वाले भाई ऐसे होते हैं, जो एक-दूसरे को नुक़सान से बचाते हैं और एक-दूसरे की ग़ैर-हाज़िरी में रक्षा करते हैं ।''

(अबू दाऊद)

A Well Wisher

PATNA

गोद लिए बच्चे कितने अपने कितने पराये

■ डॉ॰ विभा खरे

मां अपनी संतान को कितना चाहती है, यह स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं । बेटे को ज़रा-सी खरोंच लग जाए तो मां चिंतित हो उठती है । दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, उन सबमें सबसे अधिक भावनात्मक रिश्ता मां की अपनी संतान से होता है । तो क्या गोद लिए हुए बच्चों को भी उतना ही प्यार पाता है जितना कोख से जनमे बच्चे को ? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी कोख से पैदा हुए बच्चों की बनिस्बत गोद लिए हुए बच्चों को मां-बाप का प्यार न मिल पाता हो ? हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा में दत्तक ग्रहण के संबंध में स्त्रियों को विस्तृत अधिकार दिये जाने के बाद उक्त सवालों पर बहस ज़रूरी है । मगर उक्त प्रश्नों पर बहस करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि संतान गोद लेने के पीछे कारण क्या है ?

कारण क्या है गोद लेने के ?

हिन्दू धर्म में नरक से बचाने के लिए श्राद्ध कर्म के लिए पुत्र की आवश्यकता अनिवार्य समझी जाती है । वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए भी पुत्र आवश्यक होते थे । मगर यदि किन्हीं कारणों से संतान उत्पन्न न हो रही हो तो क्या किया जाए ? इसी स्थिति से निबटने के लिए दत्तक ग्रहण ही व्यवस्था की गयी । मनु ने तो यहां तक कह दिया है कि "संतानहीन व्यक्ति को एक पुत्र का प्रबंध जिस किसी प्रयत्न से हो सके, करना चाहिए ।" दत्तक मीमांसा में कहा गया है–

"पितरों को पिंडदान, जलदान देने तथा धार्मिक संस्कार को पूरा करने के लिए एवं अपने नाम को क़ायम रखने के लिए एक व्यक्ति को पुत्र दत्तक ग्रहण में लेना चाहिए यदि वह पुत्रहीन है । इस प्रकार स्पष्ट है कि हिन्दू धर्म के अनुसार इच्छिंत व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठानों एवं अपनी वंश परंपरा को क़ायम रखने के लिए दत्तक ग्रहण करता है । सवाल पैदा होता है कि आज के इस मशीनी दौर में यह प्रथा कहीं सिर्फ़ प्रथा तो बनकर नहीं रह गयी है ।

जहां तक दत्तक पुत्रों, पुत्रियों को गोद लेने वाले मां-बाप का प्यार मिलने का प्रश्न है तो अधिकांशतया ऐसे मां-बाप अपनी दत्तक संतान को पूरा स्नेह देते हैं । ज़ाहिर है कि वे संतानहीन होते हैं इसलिए अपना पूरा लाड-प्यार उन्हें देते हैं । मगर यह शायद गोद लेने की बात का प्रभाव होता है कि ऐसी संतानों को यही शिकायत रहती है कि उन्हें भरपूर स्नेह नहीं मिल पाता । छोटी उम्र में तो कोई ख़ास दिक़्क़त नहीं होती है, मगर समझदार हो जाने पर जब बच्चे को पता चलता है कि उसे गोद लिया गया है तो उसके अन्दर एक हीन भावना बनने लगती है, जिसका शिकार होकर बच्चा अक्सर सही बातों का ग़लत अर्थ लगा लेता है । मसलन यदि बच्चा कोई ग़लत काम करता है और उनकी भलाई के लिए ही यदि उसके मां-बाप उसे डांटते या मारते हैं तो वह समझ बैठता है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि वह उनकी संतान नहीं, बल्कि गोद लिया हुआ है ।

परिणाम यह होता है कि धीरे-धीरे उस बच्चे के अन्दर

खुशख़बरी खुशख़बरी खुशख़बरी

अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के बन्दों तक अल्लाह का पैग़ाम पहुंचाने की ग़रज़ से सैयद अबुल आला मौदूदी (रह.) का तर्जुमा क़ुरआन मजीद मय-मुख़्तसर हवाशी व मुक़द्दमा तफ़्हीमुल क़ुरआन (बिना अरबी मतन) हिन्दी, गुजराती और मराठी भाषा में मुफ़्त वितरण करने वालों के लिए केवल Rs. 20/- रुपये में उपलब्ध है। (साइज़ 20×30/16)

नमूने की कॉपी मुफ़्त प्राप्त करें और पढ़े-लिखे देशवासियों का नाम और पता भेजने की कृपा करें, ताकि उनके पास उपहारस्वरूप मुफ़्त कॉपी भेजी जा सके।

क़ुरआन को समझने के लिए अंग्रेज़ी अनुवाद संक्षिप्त टिप्पणी और परिचय सहित उपलब्ध है। (अनुवाद : सही इंटरनेशनल, रियाद, के.एस.ए.)

VOICE OF QURAN

C/o Rich Decor, 247, Maulana Azad Road, Taj Manzil Opp. B.M.C. Bank, Nagpada, (Mumbai)-400008
Tel. 23063564, Fax. 23087950, Mob. : 9920182816
Web : www.voiceofquran.info
E-mail : thevoiceofquran@ymall.com

असंतोष की भावना घर कर जाती है जो बाद में विद्रोह का रूप इख़्तियार कर लेती है । बच्चे का रवैया देखकर मां-बाप को मन मसोस कर रह जाना पड़ता है । स्थिति उस समय बड़ी जटिल हो जाती है जब अपने किसी रिश्तेदार का बच्चा ही गोद लिया गया हो । ऐसी स्थिति में वह बच्चा बार-बार अपने वास्तविक मां-बाप के पास लौट जाने की धमकी भी देता है । अक्सर ऐसे बच्चे अपराधी भी बन जाते हैं ।

गोद लिए बच्चे बन जाते अपराधी

एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार गोद लिए गये अधिकांश बच्चे या तो अपराधी बन जाते हैं या फिर अय्याशी में ही अपना जीवन बिता देते हैं । कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़-लिखकर किसी योग्य बन पाते हैं । ऐसी स्थिति में तो गोद लेने के पीछे जो कारण हैं वे ही पूरे नहीं हो पाते और मां-बाप के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता ।

कई उदाहरण तो ऐसे हैं जिनमें दत्तक संतानों ने आत्महत्या तक कर ली । फिर सवाल उठता है कि यदि मां-बाप अपने गोद लिए हुए बच्चे को पूरा स्नेह देते हैं तो क्यों उनके अन्दर पराएपन का एहसास जड़ें जमा लेता है ? क्यों वे अपने को कटा-कटा महसूस करते हैं ?

दरअस्ल यह बात भी अपनी जगह कुछ हद तक सत्य है कि उनको उतना प्यार वाक़ई नहीं मिल पाता जितना कोख से पैदा हुई संतान को मिलता है । लोग बच्चा गोद तो ले लेते हैं और उसके लिए सारी सुख-सुविधाओं का इन्तिज़ाम भी कर देते हैं, मगर यह नहीं समझ पाते कि इन सबसे ज़्यादा एक बच्चे आवश्यकता होती है बहुत अधिक प्यार की कई बार बच्चा गोद लेने के बाद उनकी अपनी संतान भी दुनिया में आ जाती है । ऐसे भी गोद लिए बच्चे को पराएपन और बेवजह की डांट-फटकार का सामना करना पड़ता है ।

मां-बाप के स्नेह का यदि अभाव है तो बच्चे के लिए और सारी सुख-सुविधाएं किसी काम की नहीं है । यदि लड़की को गोद लिया गया है तो ऐसे मां-बाप अक्सर उसे गृहस्थी के गुण समझाने की बजाय उसे भौतिक सुविधाएं मुहैया करा देते हैं । परिणाम यह होता है कि ऐसी लड़कियां ससुराल में ताने सुनने को विवश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें कुछ आता ही नहीं । मां-बाप ने उन्हें कुछ सिखाया ही नहीं होता । इसलिए घुट-घुटकर जीना ही ऐसी लड़कियों की नियति बन जाती है और वे ताउम्र अपने दस्तक मां-बाप को कोसती रहती हैं ।

किसी की संतान को गोद ले रहे हैं ?

हालांकि दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 की धारा 12 के अनुसार गोद ली हुई संतान, गोद लेने वाले परिवार के समस्त अधिकारों एवं सुविधाओं को प्राप्त कर लेता है मगर हक़ीक़त यह है कि प्यार के अभाव में ये सारी चीज़ें उसके लिए निरर्थक साबित हो जाती हैं ।

इसलिए ऐसे मां-बाप को, जो किसी की संतान को गोद ले रहे हैं, चाहिए कि वे अपनी दत्तक संतान को सारी भौतिक सुविधाएं मुहैया कराएं ही, उन्हें भरपूर लाड-प्यार भी दें ताकि बच्चे के अन्दर किसी प्रकार की हीन भावना न बनने पाए, वह बच्चा यह न समझे कि वह गोद लिया हुआ है, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है । तभी गोद लेने की प्रथा का लाभ मिल सकता है ।

जो मां-बाप अपनी संतान को गोद दे रहे हैं उन्हें भी पहले यह समझ कर अपने बच्चे को गोद देना चाहिए कि जहां उनका बच्चा जा रहा है उसे वहां मां-बाप का प्यार मिल पाएगा या नहीं । सिर्फ़ अपना बोझ हल्का करने की मंशा से अपने बच्चे को किसी को गोद दे देना बच्चे का पूरा जीवन तबाह कर सकता है ।

प्रहेलिका

■ तीन पंख हैं मेरे
पर परिन्दा नहीं हूं ।
जैसे चाहो चलाओ मुझे,
मगर ज़िंदा नहीं हूं ।

■ बिना पंख के उड़ चला,
आसमान को जाता ।
उड़ते-उड़ते थकता नहीं,
प्राण चला ही जाता ।।

■ चार पांव, पर चल न पाऊं,
बिना हिलाए हिल न पाऊं,
फिर भी सबको दूं आराम ।।
बोला क्या है मेरा नाम ?

■ तीन प्लेट, बीच में स्लेट,
गरमी में काम आए,
बताओ तो जानें !!

उत्तर : पंखा, धुआं, चारपाई, पंखा

पड़ोसियों को कष्ट न पहुंचाएं

■ अफ़रोज़ इनायत

इस्लाम धर्म ने तो ग़ैरों और अजनबियों को भी आसानियां देने की शिक्षा दी है । अल्लाह के अधिकारों के बाद इन्सानों के अधिकारों को अदा करने की अहमियत और ताकीद हदीसों से साबित होती है । मां-बाप, रिश्तेदारों, ज़रूरतमंदों और पड़ोसियों के अधिकारों की अदाएगी समाज को सुदृढ़ बनाती है । मां-बाप के बाद हमारे पड़ोसी ही हैं, जिनसे हमारा सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है । उनके साथ सद्‌व्यवहार करने की ताकीद बार-बार की गयी है । उन्हें दुख देने पर आख़िरत में सज़ा की सख़्त चेतावनी दी गयी है, जैसा कि इस हदीस से स्पष्ट है–अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया-''वह व्यक्ति जन्नत में न जाएगा, जिसका पड़ोसी उसकी यातनाओं से अमन में न हो ।''

(मुस्लिम)

वैसे तो इस्लाम धर्म ने सामाजिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिए आसपास रहने वाले अपने-पराए सबके साथ मुहब्बत और सद्‌व्यवहार करने की ताकीद की है, लेकिन पड़ोसियों के बारे में कुछ ज़्यादा ही ताकीद की गयी है, और बार-बार आदेश दिया गया, जैसा कि इस हदीस से स्पष्ट है-एक अंसारी सहाबी (रज़ि॰) फ़रमाते हैं कि मैं नबी करीम (सल्ल॰) से मिलने के लिए घर से निकला, रास्ते में देखा कि एक साहब खड़े आप (सल्ल॰) से बातें कर रहे हैं । बड़ी देर हो गयी, यहां तक कि मुझे आपके थक जाने के ख़याल ने बेचैन कर दिया ।

बहुत देर के बाद लौटे और आप (सल्ल॰) मेरे पास आये । मैंने कहा रसूलुल्लाह (सल्ल॰)! इस व्यक्ति ने तो आपको बहुत देर तक खड़ा रखा, मैं तो परेशान हो गया । आपने फ़रमाया, अच्छा तुमने उन्हें देखा । मैंने कहा, हां ख़ूब अच्छी तरह देखा । आपने फ़रमाया, जानते हो वह कौन थे? वह जिबरील अलैहिस्सलाम थे, मुझे पड़ोसियों के अधिकारों के बारे में ताकीद करते रहे, यहां तक कि उनके इतने अधिकार बयान किये कि मुझे खटका हुआ कि आज तो पड़ोसी को वारिस ठहरा देंगे । (बुख़ारी)

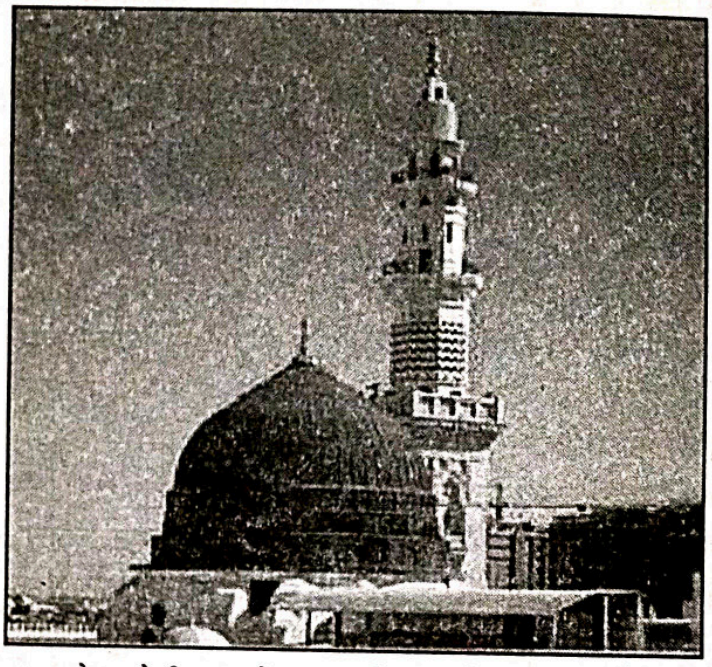

जो पड़ोसी घर से ज़्यादा निकट हो, उसका अधिकार भी ज़्यादा है और अगर पड़ोसी मुसलमान हो और रिश्तेदार हो, तो उसके तीन अधिकार होंगे-इस्लाम का, सिलहरहमी का और पड़ोसी का । हज़रत आइशा (रज़ि॰) फ़रमाती हैं कि मैंने आप (सल्ल॰) से पूछा कि मेरे दो पड़ोसी हैं, उनमें से एक को हदिया देना चाहती हूं तो कैसे भेजूं ? आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, ''जिसका दरवाज़ा क़रीब हो ।''

(बुख़ारी)

हदीसों की रोशनी में हमें अपना आत्म निरीक्षण करना चाहिए क्या हम सब मुसलमान अपने-अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या हमारे किसी कर्म या बर्ताव से उन्हें तकलीफ़ व परेशानी तो नहीं हो रही है । हो सकता है कि अनजाने में हमसे कोई ऐसा अमल हो जाए, जिससे हमारे पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंचे और जिसका हमें एहसास भी न हो । जैसे टेलीविजन की ऊंची आवाज़ जिससे आसपास के लोग प्रभावित हों । हो सकता है कि किसी के घर के बच्चों के इम्तिहान आदि हों, हो सकता है कि पड़ोस में कोई बीमार हो ।

इस तरह आजकल जो एक आम चीज़ देखी है वह है गाड़ी का पार्क करना । अक्सर जब हम किसी दावत आदि

से फ़ारिग़ होकर रात को देर से घर आते हैं, तो हमारी गाड़ी की निर्धारित जगह पर कोई और लापरवाह पड़ोसी गाड़ी पार्क कर देता है । यद्यपि यह बड़ा दुखदायी मरहला होता है, लेकिन मजबूरन हमें घर से ज़्यादा दूर गाड़ी पार्क करनी पड़ती है । इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ जब होती है, जब रात को एक या दो बजे कोई दरवाज़ा खटखटाकर कहता है कि आप यहां से गाड़ी हटाएं, हम यहां गाड़ी खड़ा करेंगे । इन सब बातों का ख़याल लोगों को करना चाहिए, जिससे उनके व्यवहार से किसी पड़ोसी को तकलीफ़ न पहुंचे ।

इस्लाम धर्म तो पड़ोसियों के लिए आराम और आसानियां पैदा करने की शिक्षा देता है, यहां तक कि फलों के छिलके आदि घर के बाहर न फ़ेंकने की ताकीद की गयी है कि कहीं ऐसा न हो कि निर्धन पड़ोसी के बच्चे उसे देखकर रोएं और अपने मां-बाप से उन फलों के लिए कहें और वे उन फलों को ख़रीदने का सामर्थ्य न रखते हों । हदीस में है कि वह मोमिन नहीं, जिसका पड़ोसी भूखा रहे और वह पेट भरकर खाए । अपनी हैसियत व ताक़त के अनुसार जितना हो सके, पड़ोसियों को सुख व आराम पहुंचाना नेकी है ।

अगर उन्हें हमारी सहायता की ज़रूरत हो तो कभी पीछे न हटें, और न हम उनका तर्जे-अमल देखें कि अमुक अवसर पर उन्होंने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था । एक महफ़िल में एक महिला मुझसे कहने लगीं कि आजकल तो लोगों के रवैये और तर्जे-ज़िन्दगी ऐसी हो गयी है कि आस-पड़ोस के लोग एक-दूसरे से मिलते-जुलते ही नहीं, अगर किसी वक़्त किसी पड़ोसी के घर चले जाओ, तो वे हैरान हो जाते हैं कि ये क्यों आ धमके, हमें इनसे क्या मतलब है? एक वक़्त था कि न केवल पड़ोसियों का एक-दूसरे के घर आना-जाना रहता, बल्कि ज़रूरत के समय एक-दूसरे से कोई चीज़ ले भी लेते थे । यह ज़्यादा दूर की बात नहीं, अब यह चीज़ बहुत कम नज़र आती है ।

यह हक़ीक़त है कि एक वक़्त ऐसा था, जैसे हमारे पड़ोसन के ननद का इन्तिक़ाल हो गया था, वे एक सप्ताह तक ननद के घर रहीं, उस दौरान उनका एक बेटा अपनी पढ़ाई की वजह से घर में था । उस 14-15 साल के बच्चे को हम रोज़ तीन वक़्त का खाना भेजते थे और उसका अपने बच्चों की तरह ख़याल रखते थे, इस तरह सब मोहल्ले वाले एक ख़ानदान की तरह रहते थे । वक़्त पड़ने पर हम सब एक-दूसरे की सहायता भी करते रहते थे । कभी-कभी अपने आपको तकलीफ़ में रखकर भी दूसरे के सुख व आराम का ख़याल रखते । अगर हम किसी को आराम और सुविधा फ़राहम करने से असमर्थ भी हों तो कम से कम किसी को तकलीफ़ देने से बचें, यही इस्लाम की शिक्षाएं हैं ।

मोहल्ले में आसपास रहने वालों के अलावा आपके स्कूल, कॉलेज अर्थात शिक्षण संस्थानों में साथ बैठने वालों और सफ़र के दौरान साथ बैठने वालों का भी आप पर हक़ है । उनका ख़याल रखना या उन्हें तकलीफ़ पहुंचाने से बचना भी ज़रूरी है । हज के दौरान एक बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि हमारे ग्रुप के सारे हाजी अपने साथियों का ख़याल रखते थे । ज़रूरत पड़ने पर उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ते थे ।

मनासिके हज को अदा करने के लिए मिना से अरफ़ात जाते वक़्त हमारी एक साथी बस पर सवार होते हुए गिर गयीं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मनासिके हज को अदा किया । अज़ीज़िया में हमारा निवास था, दस महिलाएं एक हालनुमा कमरे में साथ-साथ थीं । हम सबने उन हज्जनों का बेहद ख़याल रखा । मेरी दिवंगत छोटी बहन उन्हें दिन में तीन बार दर्द दूर करने वाली क्रीम से मसाज करतीं, उनको खाना-पीना हम बिस्तर पर लाकर देते, केवल इबादत के लिए वे बिस्तर से उठतीं । वे महिलाएं हम सबके व्यवहार की वजह से बहुत ज़्यादा ख़ुश थीं, कहती थीं कि इतना ख़याल तो मेरे घर वाले भी मेरा नहीं रखते । कहने का तात्पर्य यह कि इस मुबारक सफ़र के दौरान ऐसे कई वृत्तांत देखने को मिले । शायद ये इस मुबारक सफ़र के प्रभाव थे । अल्लाह तआला हम सबको आम ज़िन्दगी में भी अपने आस-पड़ोस में रहने वालों का ख़याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ।

क्या हैं विटामिन ?

विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो भोजन को ऊर्जा में बदलने के समय रासायनिक प्रक्रिया में सहायता करते हैं । विटामिनों की बहुत कम मात्रा की ज़रूरत पड़ती है और यदि वे उससे ज़्यादा मात्रा में लिए गये, तो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं । बहुत-से लोगों का ऐसा विश्वास है कि ज़्यादा विटामिन लेने से ज़्यादा ताक़त आती है । यह सच नहीं है । जब तक डॉक्टर न कहे तब तक दिन में विटामिन की एक गोली से ज़्यादा न लें ।

महिलाधिकार और इस्लाम

● संपादन प्रभाग

इतिहास के एक लंबे समय से नारी पर अत्याचार होता आ रहा है । हर क़ौम और हर क्षेत्र में नारी उत्पीड़ित थी । यूनान में, रोम में, मिस्र में, इराक़ में, भारत में, चीन में, अरब में हर जगह उस पर जुल्म व अत्याचार हो रहा था । बाज़ारों और मेलों में उसका क्रय-विक्रय होता था । जानवरों से बदतर उसके साथ सुलूक किया जाता था । यूनान में एक लंबे समय तक यह बहस जारी रही कि उसके अन्दर आत्मा है भी या नहीं । अरब वाले तो उसके अस्तित्व ही को अपमान समझते थे । कुछ कठोर हृदय लोग अपनी बेटियों को ज़िन्दा धरती में गाड़ देते थे । भारत में पति की चिंता पर उसकी विधवा जलकर भस्म हो जाती थी । निवृत्तिवादी धर्म उसे अपराध का स्रोत, पाप का द्वार और पाप का प्रतिरूप समझते थे । उसके साथ संबंध रखने को आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग में अवरोध समझा जाता था । दुनिया की अधिकांश सभ्यताओं में उसे समाज में कोई स्थान प्राप्त न था । वह उपेक्षणीय और अधम समझी जाती थी । उसके आर्थिक और राजनैतिक अधिकार न थे । वह स्वेच्छापूर्वक लेन-देन और कोई आर्थिक हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी । वह शादी से पहले बाप की, फिर पति की और उसके बाद अपने पुत्र के अधीन थी । उनके प्रभुत्व को चुनौती देने की उसे अनुमति न थी । उसके द्वारा की गयी नृशंसता और अत्याचार पर उसकी कहीं सुनवाई न थी, उसे फ़रियाद और आपत्ति करने का भी अधिकार प्राप्त न था ।

औरत और इस्लाम

इस्लाम ने औरत को जुल्म व अत्याचार के खड्ड से निकाला । उसके साथ इन्साफ़ किया, उसे सारे मानवीय अधिकार दिये, इज़्ज़त व श्रेष्ठता प्रदान की और समाज को उसका सम्मान करना सिखाया, और औरत की मज़लूमी व महकूमी (दासता) के ख़िलाफ़ इतने ज़ोर से आवाज़ बुलन्द की कि सारी दुनिया उससे गूंज उठी और आज उसी का प्रभाव है कि किसी में यह साहस नहीं कि उसकी पिछली (दासता की) हैसियत को सही और यथार्थपरक कह सके । क़ुरआन ने पूरी शक्ति से कहा–

"ऐ लोगो ! अपने रब से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया है, और उससे उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत-से मर्द और औरतें फैला दिये, और अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक-दूसरे से अपने हक़ मांगते हो और रिश्तों का सम्मान करो । निस्संदेह, अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है ।" (क़ुरआन, 4:1)

यह इस बात की घोषणा थी कि एक इन्सान और दूसरे इन्सान के बीच जो झूठे भेदभाव दुनिया ने पैदा कर रखे हैं वे सब सत्य के प्रतिकूल, निराधार और निर्मूल हैं । संपूर्ण मानवजाति एक ही जान से पैदा हुई है । सबकी बुनियाद एक है । पैदाइशी तौर पर न कोई श्रेष्ठ है, न हीन, न कोई ऊंची जाति का है और न नीची जाति का । सभी बराबर और समान अधिकार रखते हैं ।

औरत की तीन हैसियतें

एक घर में औरत की तीन स्पष्ट हैसियतें हैं–मां, बीवी और बेटी । इस्लाम ने इन तीनों की हैसियतों में उसे बड़ा ऊंचा मक़ाम प्रदान किया है ।

मां के रूप में औरत की हैसियत

क़ुरआन ख़ुदा और रसूल के बाद सबसे ऊंचा दर्जा मां को देता है । मां और बाप दोनों के साथ सद्व्यवहार करने और उनके आज्ञानुपालन का आदेश देता है । अतएव एक स्थान पर कहा गया है–

"और हमने मनुष्य को अपने माता-पिता का हक़ पहचानने की ताकीद की है । उसकी मां ने सख़्ती पर सख़्ती झेलकर उसे अपने पेट में रखा और दो वर्ष में उसका दूध छूटा । हमने आदेश दिया कि मेरे कृतज्ञ बनो और अपने माता-पिता के भी कृतज्ञ बनो । मेरी ही ओर तुम्हें पलटना है ।" (क़ुरआन, 31:14)

अल्लाह के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने बाप के साथ भी सद्व्यवहार की ताकीद की है, लेकिन मां के साथ सद्व्यवहार पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया है । आप का आदेश है–

"मैं मनुष्य को उसकी मां के बारे में (सद्व्यवहार की) ताकीद करता हूं, मैं मनुष्य को उसकी मां के बारे में (सद्व्यवहार की) ताकीद करता हूं, मैं मनुष्य को उसकी मां के बारे में (सद्व्यवहार की) ताकीद करता हूं, मैं मनुष्य को उसके बाप के बारे में (सद्व्यवहार की) ताकीद करता हूं।" (इब्ने माजा)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) फ़रमाते हैं कि एक आदमी नबी (सल्ल॰) की ख़िदमत में आया और पूछा–

"ऐ ख़ुदा के रसूल ! मेरे अच्छे व्यवहार का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है ?"

आपने फ़रमाया, "मेरी मां !"

उसने पूछा, "फिर कौन है ?"

आपने फ़रमाया, "तेरी मां !"

उसने फिर पूछा, "फिर कौन ?"

इरशाद फ़रमाया, "तेरी मां !"

उसने कहा, "फिर कौन ?"

तो आपने फ़रमाया, "तेरा बाप !"

(अल-अ-द-बुल मुफ़रद)

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) का इरशाद है–

"अल्लाह ने तुम पर हराम ठहराई है, मां की नाफ़रमानी और लड़कियों को ज़िन्दा दफ़न करना।"

हुज़ूर (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

"जन्नत मां के क़दमों के नीचे है।"

पत्नी के रूप में औरत की हैसियत

इस्लाम में औरत का स्थायी अस्तित्व स्वीकार किया गया है। निकाह की वजह से न तो उसका व्यक्तित्व पति के व्यक्तित्व में गुम हो जाता है और न वह उसकी चेरी और दासी होती है। यहां बीवी के संबंधों के बारे में कुरआन कहता है–"अल्लाह की (बहुत-सी) निशानियों में से यह भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही नस्ल से जोड़े बनाए, ताकि तुम उनके पास आराम और शांति पा सको, और तुम्हारे बीच प्रेम और दयालुता पैदा कर दी। निस्संदेह इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं।" (कुरआन, 30:21)

एक दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला फ़रमाता है–

"मर्द औरतों के सरपरस्त (संरक्षक) और निगरां हैं, इस कारण कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर श्रेष्ठता दी है और इस कारण भी कि मर्द अपने माल (धन) ख़र्च करते हैं। अतः जो नेक स्त्रियां होती हैं, वे आज्ञापालन करने वाली और मर्दों के पीछे (अनुपस्थिति में) उनके घरों की रक्षा करने वाली हैं, इसलिए कि अल्लाह ने भी उनकी रक्षा की है।" (कुरआन, 4:34)

कभी-कभी आदमी को एक चीज़ नापसन्द होती है, लेकिन उसमें भलाई के अनगिनत पहलू होते हैं। औरतों के संबंध में कुरआन कहता है–

"उनके साथ भले तरीक़े से जीवन-यापन करो। अगर तुम उनको नापसन्द करते हो तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नापसन्द हो और अल्लाह ने उसमें बहुत-सी भलाई रख दी हो।" (कुरआन, 4:19)

एक सहाबी ने हुज़ूर (सल्ल॰) से बीवी के अधिकारों के बारे में पूछा, तो आपने फ़रमाया–

"जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो उसे भी पहनाओ। (गुस्से से बेक़ाबू होकर) उसके मुंह पर मत मारो और उसको बुरा-भला मत कहो। (उससे किनाराकशी ज़रूरी हो जाए तो) उसे घर से मत निकाल दो, बल्कि घर के अन्दर ही उससे अलग रहो।" (अबू दाऊद)

एक अवसर पर हुज़ूर (सल्ल॰) फ़रमाते हैं–

"कोई मोमिन (ईश-भक्त) किसी मोमिना (धर्मपरायण) बीवी से नफ़रत न करे। अगर उसकी एक आदत अच्छी न लगे तो दूसरी अच्छी लगेगी।" (मुस्लिम)

हुज़ूर (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

"ईमान वालों में सबसे परिपूर्ण ईमान वाला व्यक्ति वह है, जिसके अख़्लाक़ (व्यवहार) सबसे अच्छे हों, और तुमसे बेहतर लोग वे हैं जो अपनी स्त्रियों के हक़ में बेहतर हो।"

हुज़ूर ने एक जगह और फ़रमाया–

"यह संसार जीवन बिताने का सामान है और इसका सबसे बेहतर सामान नेक बीवी है।" (मुस्लिम)

बेटी के रूप में औरत की हैसियत

अज्ञानकाल (अर्थात इस्लाम से पूर्वकाल) में अरबवासी लड़कों को गर्व का साधन और श्रेष्ठ पूंजी समझते थे, लेकिन लड़कियां उनके लिए बोझ थीं। उनको वे लज्जा का कारण समझते थे और उनकी चर्चा ही से उनका सिर शर्म से झुक जाता था। बल्कि कुछ कठोर हृदय पिता अपने हाथों अपनी मासूम लड़कियों को ज़िन्दा ज़मीन में दफ़न कर देते थे। कुरआन ने कहा–

"अल्लाह ही के लिए आसमान व ज़मीन की बादशाहत

है । वह जो चाहता है पैदा करता है । जिसे चाहता है लड़कियां देता है, और जिसे चाहता है, लड़के प्रदान करता है । या उन्हें लड़के और लड़कियां दोनों देता है । और जिसे चाहता है, बांझ बना देता है । निस्संदेह वह ज्ञानवान और सामर्थ्यवान है ।" (क़ुरआन, 42:49-50)

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने लड़कियों की परवरिश की प्रेरणा दी । फ़रमाया–

"अल्लाह तआला जिस व्यक्ति को लड़कियों के द्वारा कुछ भी आज़माए, तो उसे चाहिए कि वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करे । ये लड़कियां उसके लिए जहन्नम (नरक) से बचाव का साधन होंगी ।" (बुख़ारी)

हुज़ूर ने फ़रमाया–"तुममें से जिसके तीन लड़कियां या तीन बहनें हों और वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करे तो वह जन्नत में अवश्य दाख़िल होगा ।" (तिरमिज़ी)

"जो व्यक्ति दो बच्चियों का, उनके जवानी को पहुंचने तक, पालन-पोषण करेगा, क़ियामत (परलोक) के दिन वह और मैं इस तरह (मिलकर) आएंगे ।" यह कहकर आपने दोनों उंगलियों को मिलाकर दिखाया । (हदीस)

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

"जिस व्यक्ति की लड़की हो, वह न तो उसे ज़िन्दा दफ़न करे और न उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करे और न उस पर अपने लड़के को प्राथमिकता दे, तो अल्लाह तआला उसे जन्नत में प्रविष्ट कराएगा ।"

एक बार रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

"लड़कियों से घृणा मत करो, वे तो सहानुभूति की प्रतिमा और बड़ी मूल्यवान हैं ।" (मुस्नद अहमद)

हज़रत सुराक़ा से अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने पूछा–

"क्या तुम्हें यह न बताऊं कि सबसे बड़ा दान क्या है ?" हज़रत सुराक़ा ने निवेदन किया कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), अवश्य बताएं ! आपने फ़रमाया–

"अपनी उस बच्ची पर उपकार करो जो (विधवा होने या तलाक़ दिये जाने की वजह से) तेरी ओर लौटा दी गयी हो, और तेरे सिवा कोई दूसरा उसका देखने वाला न हो ।" (हदीस)

इस प्रकार इस्लाम ने स्त्रियों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित किये हैं और नैतिक रूप से भी उच्च सम्मान व प्रतिष्ठा का पद प्रदान किया है ।

अगर इस्लामी शिक्षाओं का जायज़ा लिया जाए तो स्पष्ट रूप से एक औरत के निम्नलिखित अधिकार बनते हैं–

1. एक औरत को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है ।

अरब के कुछ क़बीले अपनी लड़कियों को ज़िन्दा दफ़न कर दिया करते थे । क़ुरआन ने उन्हें ज़िन्दा रहने का अधिकार दिया और कहा कि जो व्यक्ति उनके इस अधिकार का हनन करेगा, क़ियामत के दिन उसे ख़ुदा को जवाब देना होगा । फ़रमाया–

"उस घड़ी को याद करो जबकि उस लड़की से पूछा जाएगा, जिसे दफ़न किया गया था कि वह किस अपराध में मार डाली गयी थी ?" (क़ुरआन, 81:9)

2. इस्लाम के निकट प्रत्येक शिशु यह नैतिक और वैधानिक अधिकार लेकर जन्म लेता है कि उसके जीवन की आवश्यक वस्तुएं करायी जाएं और अपनी लापरवाही से उसे मौत के मुंह में न जाने दिया जाए । पवित्र क़ुरआन का आदेश है–

"बच्चा जिसका है (यानी बाप का) उस पर दूध पिलाने वाली का खाना और कपड़ा देना सामान्य नियम के अनुसार अनिवार्य है ।" (क़ुरआन, 2:233)

3. इस्लाम ने शिक्षा का अधिकार मर्द और औरत दोनों के लिए न सिर्फ़ स्वीकार किया है, बल्कि लड़कियों की शिक्षा-दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया और लड़कियों के लालन-पालन और उनके शिक्षण-प्रशिक्षण और प्रसन्नतापूर्वक शादी आदि करने वाले को जन्नत की शुभ सूचना दी है ।

4. इस्लाम ने निकाह के मामले में लड़की के वली और सरपरस्त (संरक्षक) को महत्व अवश्य दिया है, लेकिन इसके साथ यह भी कहा है कि निकाह उस लड़की की अनुमति से ही होगा । अगर औरत विधवा या तलाक़ पायी हुई है तो स्पष्ट रूप से अपनी सहमति को प्रकट करेगी और कुंवारी है तो उसकी ख़ामोशी को उसकी सहमति समझ लिया जाएगा । हुज़ूर (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

"बेवा व तलाक़ पायी हुई औरत का निकाह नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी राय मालूम न कर ली जाए, और अविवाहिता का निकाह नहीं होगा जब तक उसकी अनुमति न ले ली जाए ।"

5. इस्लाम ने 'महर' को औरत का हक़ क़रार दिया है और मर्द को आदेश दिया है कि जिस औरत से उसका निकाह हो, वह हरहाल में उसे महर अदा करे । महर के

बिना निकाह वैध नहीं होगा । कुरआन ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि–"औरतों को उनके महर खुशदिली से दे दो ।" (कुरआन, 4:4)

यानी महर औरत की अपनी मिल्कियत (संपत्ति) है, वही उसका अधिकार रखती है । उसके सरपरस्त (संरक्षक) का उसमें कोई अधिकार नहीं ।

6. इस्लाम एक औरत के भरण-पोषण करने का अधिकार स्वीकार करता है । विवाह से पहले लड़की की परवरिश की सारी ज़िम्मेदारी बाप पर है, और विवाह के बाद उसके भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी उसके पति पर आती है । अगर औरत मालदार है तो उसके लिए पति नौकर भी उपलब्ध कराएगा । यदि पत्नी पति के संबंधियों के साथ संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती, तो वह अलग मकान की मांग कर सकती है, यह उसका वैधानिक अधिकार है और पति के लिए उसका पूरा करना ज़रूरी है ।

7. इस्लाम ने औरत को कारोबार और उद्यम व वृत्ति की स्वतंत्रता दी है । उसके लिए व्यापार, कृषि, लेन-देन, उद्योग व कारीगरी, नौकरी, अध्ययन-अध्यापन, पत्रकारिता व लेखन कार्य–सभी वैध कार्य करने की अनुमति है । इसके लिए वह घर से बाहर भी निकल सकती है, परन्तु वह उस पर कुछ ऐसी पाबंदियां अवश्य लगाता है, जिससे कि पारिवारिक व्यवस्था में कोई बाधा व बिगाड़ न जन्म ले सके और उसकी स्थिरता में कोई अन्तर न आए ।

8. इस्लाम ने माल व जायदाद में औरत के संपत्ति संबंधी अधिकार को स्वीकार किया है और इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को अनुचित और अवैध ठहराया है । जिस प्रकार मिल्कियत का हक़ मर्द हो हासिल है, ठीक उसी प्रकार औरत को भी यह हक़ हासिल है । कुरआन का आदेश है–"जो कुछ मर्दों ने कमाया उसके अनुसार उनका हिस्सा है, और जो औरतों ने कमाया है उसके अनुसार उनका हिस्सा है ।" (कुरआन, 4:34)

विरासत के विधान के बारे में कुरआन कहता है–

"जो कुछ मां-बाप और रिश्तेदार छोड़ें, चाहे वह थोड़ा या ज़्यादा, उसमें मर्दों का हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है–एक निर्धारित हिस्सा ।"

9. इज़्ज़त व आबरू हर इन्सान की बड़ी मूल्यवान संपत्ति है । इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त व आबरू का हक़ प्रदान किया है । एक औरत के सतीत्व पर छींटाकशी करना और उसपर बदचलनी व चरित्रहीनता का इल्ज़ाम लगाना इस्लाम के नज़दीक ये सभी बड़े गुनाह और जघन्य अपराध हैं । प्यारे रसूल (सल्ल०) ने इन्सान को तबाह कर देने वाले सात गुनाहों में से एक का उल्लेख इन शब्दों में फ़रमाया–

"पाक दामन, ईमान वाली, भोली-भाली औरतों पर तोहमत लगाना ।"

इस्लाम ने क़ानूनी तौर पर यह कठोर क़दम उठाया है कि जो व्यक्ति किसी औरत पर बदकारी व चरित्रहीनता की तोहमत लगाए उसे अस्सी कोड़े लगाए जाएं । और किसी भी मामले में उसकी गवाही न स्वीकार की जाए ।

10. इस्लाम एक औरत को समीक्षा व टिप्पणी करने का भी अधिकार प्रदान करता है । कुरआन ने मर्द और औरत दोनों को भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने का आदेश दिया है ।

"मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक-दूसरे के सहयोगी हैं–भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं ।" (कुरआन, 9:71)

इसमें धर्म के प्रचार-प्रसार, समुदाय के सुधार का कार्य, वैचारिक व प्रशासनिक विद्वानों व अधिकारियों की समीक्षा व टीका-टिप्पणी सब आता है । औरत का कर्तव्य है कि अपनी सीमाओं में रहते हुए इन सभी दायित्वों को पूरा करे ।

नोटबंदी

एक मित्र दूसरे मित्र से बोला–
अब तो 'दो हज़ार' के नोट भी आ गये जाली,
क्या इसे भी बंद कर देंगे हमारे सत्ताधारी ?
गर चुनावी मौसम में नोटबंदी करें तो जानें,
तब उनको हम सच्चा देशभक्त मानें ।
फिर दूसरा मित्र बोला–
कर्णधार बेवकूफ़ नहीं जो ओखली में सिर डालेंगे,
करके नोटबंदी अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे ।
निर्वाचन ऋतु में गर नक़दी संकट गहराएगा,
फिर किसके बूते उम्मीदवार कुर्सी पाएगा ?

महेन्द्र अग्रवाल
240 बी, ए०जे०सी० बोस रोड,
तीसरा तल्ला, कोलकाता

मेयारी तालीम ही बेहतर मुस्तक़बिल की ज़मानत है

बच्चों की बेहतर तालीम व तरबियत के पेशे-नज़र स्कूलों और मदरसों के लिए

इस्लामी तर्ज़ पर तैयार निसाबी कुतुब

उर्दू, हिन्दी, अंग्रेज़ी, गणित, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इस्लामियात और अन्य विषयों की पाठ्य-पुस्तकें अंग्रेज़ी, उर्दू और हिन्दी तीनों भाषाओं में उम्दा काग़ज़, बेहतरीन प्रकाशन, मतन से हम आहंग दीदाज़ेब तस्वीरों के साथ पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित करने वाला

हिन्दुस्तान भर में मशहूर पहला इशाअती इदारा

भारत सरकार के क़ौमी दर्सियात (C.B.S.E & N.C.E.R.T) के ख़ाके के तहत बच्चों की नफ़्सियात और दिलचस्पी नीज़ जामे और मुसलसल जांच (C.C.E) के नये तक़ाज़ों के मुताबिक़ दिल्ली के नामवर शिक्षण-संस्थाओं से वाबिस्ता अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार की गयी पाठ्य-पुस्तकों के लिए संपर्क करें।

हम सारे तालीमी इदारों से भरपूर तआवुन की अपील करते हैं और अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि हम सबकी इस कोशिश को क़बूल फ़रमाए। आमीन

इस्लामी पाठ्य-पुस्तकों का अव्वलीन इशाअती इदारा। उर्दू, हिन्दी मीडियम स्कूलों और मदरसों के लिए

Pioneer in Islamic Oriented Books for Urdu/Hindi Medium Schools & Madarsas

AL QALAM
Publications Pvt.Ltd.

Al Qalam

اَلْقَلَم پبلیکیشنز
پرائیویٹ لمیٹیڈ

Regd. Office : 344, Gali Garhaiyya, Bazar Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-110 006.
Phone : (Off.) 011-2324 1481, 2326 1481 (Godown) 011- 23631481
website : alqalampublications.com e-mail : alqalambooks@gmail.com



To place orders please e-mail us on : alqalambooks@gmail.com or WhatsApp : 9136393030

Posted on 20-21 March 2019
April 2019
Posted Delhi RMS Delhi-110006
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.03.2019
Total pages 52 with Cover

हिन्दी साहित्यों की मासिक पत्रिका
कान्ति
NEW DELHI-110025

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2018-2020
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2018-2020

ALMANAR SOCIAL SERVICE

MEDICAL WING

Jharna Road, Near Eidgah Maidan, Azad Nagar, Mango Jamshedpur, Ph. : 9955127184, 9431961077

Regn. No. 61/09 & Recipient of 12A 80G of IT Act

in Association with **D.M. Foundation Human Welfare Trust**







